

जिल्हाधिकारी कार्यालय, जालना
विभाग :- गृहशाखा
माहितीचा अधिकार - २००५ मधील
(प्रपत्र १ ते १७)

कलम २ एच नमुना (अ)

माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अन्वये विभागवार लोकप्राधिकारी यांची यादी

शासकीय विभागाचे नाव :- गृह शाखा, जिल्हादंडाधिकारी कार्यालय, जालना

कलम २ (एच) a/b/c/d

| अ.क्र. | लोकप्राधिकारी संस्था | संस्था प्रमुखाचे नाव | ठिकाण/पत्ता |
|--------|-------------------------------|-----------------------|-------------|
| १ | २ | ३ | ४ |
| १ | जिल्हाधिकारी/जिल्हादंडाधिकारी | जिल्हाधिकारी | जालना |
| २ | अप्पर जिल्हाधिकारी | अप्पर जिल्हाधिकारी | जालना |
| ३ | निवासी उपजिल्हाधिकारी | निवासी उपजिल्हाधिकारी | जालना |

कलम २ एच नमुना (ब)

शासनाकडून पुरेसा निधी प्राप्त लोकप्रतिनिधी संस्थाची यादी

शासकिय विभागाचे नाव :- गृहशाखा, जिल्हादंडाधिकारी कार्यालय, जालना

कलम २ (h) (i) (ii) अंतर्गत

| अ.क्र. | लोकप्राधिकारी संस्था | संस्था प्रमुखाचे पदनाम | ठिकाण / संस्था |
|-----------|----------------------|------------------------|----------------|
| १ | २ | ३ | ४ |
| लागू नाही | | | |

कलम ४ (१) (b) (i)

जालना येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कार्ये व कर्तव्ये यांचा तपशील

कार्यालयाचे नाव :- जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी कार्यालय, जालना

पत्ता :- प्रशासकिय इमारत, जालना

कार्यालय प्रमुख :- विलास ठाकूर

शासकिय विभागाचे नाव :- गृहविभाग/करमणूक कर विभाग/स्वातंत्र्य सैनिक विभाग

कोणत्या मंत्रालयातील खात्याच्या अधिनस्त :- गृह मंत्रालय, सामान्य प्रशासन विभाग

कार्यक्षेत्र :- जिल्हा भौगोलिक :- कार्यानुरूप :-

विशिष्ट कार्ये :- कायदा व सुव्यवस्था, करमणूक कर वसूली, मंत्री महोदय दौरे, विविध परवाने (शस्त्र, उपहारगृहे, सिनेमा, व्हिडिओ, केबल), वय, अधिवास

व राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र, स्वातंत्र्य सैनिक पेन्शन प्रकरणे, केरोसीन साठा परवाना, स्फोटक परवाने, पेट्रोलियम नाहरकत प्रमाणपत्रे

विभागाचे ध्येय / धोरण :-

धोरण :-

सर्व संबंधित कर्मचारी :- i) उपचिटणीस, ii) करमणूक कर निरीक्षक (२), iii) लिपीक (४), iv) शिपाई (१)

कार्य :-

कामाचे विस्तृत स्वरूप :-.....

मालमत्तेचा तपशील :- इमारत व जागेचा तपशील


उपलब्ध सेवा :-

संस्थेच्या संरचनात्मक तक्त्यामध्ये कार्यक्षेत्राचे प्रत्येक स्तरावरचे तपशील :-

कार्यालयीन दुरध्वनी क्रमांक व वेळा :- ०२४८२/२२५५०२, २२५१२१, विस्तार क्र. १२१ सकाळी ९:४५ ते १७:४५

साप्ताहिक सुट्टी व विशिष्ट सेवेसाठी ठरविलेल्या वेळा :-

संस्थेचा प्रारूप तक्ता :-



कलम ४ (१) (ब) (iii)

निर्णय प्रक्रियेतील पर्यवेक्षण व जबाबदारीचे उत्तरदायित्व निश्चित करून कार्यपध्दतीचे प्रकाशन

कामाचा प्रकार / नाव :- खाद्यगृह (Eating) परवाना देणे

| | | | | |
|-----------------|--|--------------|--|----------|
| कामाचे स्वरूप | खाद्यगृह (Eating) परवाना देणे | | | |
| संबंधित तरतुद | Jalna District Eating house registration Draft rules १९८६ | | | |
| अधिनियमांचे नाव | मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३३ (१) पोटकलम तीन (ब) (एक) | | | |
| नियम | मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३३ (१) पोटकलम तीन (ब) (एक) | | | |
| शासन निर्णय | ----- | | | |
| परिपत्रके | ----- | | | |
| कार्यालयीन आदेश | ----- | | | |
| अ. क्र. | कामाचे स्वरूप | कालावधी दिवस | कामासाठी जबाबदार अधिकारी | अभिप्राय |
| १ | खाद्यगृह (Eating) परवाना देणे | ३० | जिल्हादंडाधिकारी अप्पर जिल्हादंडाधिकारी उपचिटणीस गृह | - |

कलम ४ (१) (ब) (iii)

निर्णय प्रक्रियेतील पर्यवेक्षण व जबाबदारीचे उत्तरदायित्व निश्चित करून कार्यपध्दतीचे प्रकाशन

कामाचा प्रकार / नाव :- लॉज (Lodging) परवाना देणे

| | | | | |
|-----------------|---|-----------------|--|----------|
| कामाचे स्वरूप | लॉज (Lodging) परवाना देणे | | | |
| संबंधित तरतुद | Rules for Keeping Places of Public Entertainment for Jalna District | | | |
| अधिनियमांचे नाव | मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३३ (१) पोटकलम तीन (ब) (एक) | | | |
| नियम | मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३३ (१) पोटकलम तीन (ब) (एक) | | | |
| शासन निर्णय | ----- | | | |
| परिपत्रके | ----- | | | |
| कार्यालयीन आदेश | ----- | | | |
| अ.क्र. | कामाचे स्वरूप | कालावधी दिवस | कामासाठी जबाबदार अधिकारी | अभिप्राय |
| १ | लॉज (Lodging) परवाना देणे | ३० | जिल्हादंडाधिकारी अप्पर जिल्हादंडाधिकारी उपचिटणीस गृह | - |

कलम ४ (१) (ब) (iii)

निर्णय प्रक्रियेतील पर्यवेक्षण व जबाबदारीचे उत्तरदायित्व निश्चित करून कार्यपध्दतीचे प्रकाशन

| | | | | |
|---------------------|--|--------------|--|----------|
| कामाचे प्रकार / नाव | सार्वजनिक मनोरंजन कार्यक्रम घेण्यासाठी इमारत अथवा तात्पुरते मंडप उभारण्यास ना-हरकत देणे | | | |
| कामाचे स्वरूप | मनोरंजनाचे कार्यक्रम घेण्यासाठी इमारत अथवा तात्पुरते मंडप उभारण्यास ना-हरकत देणे | | | |
| संबंधित तरतुद | Under Section १९० of The Rules for Licensing & Controlling places Public Amusement (Other than Cinemas) & Performances for Public Amusement including Melas & Tamashas, १९६० | | | |
| अधिनियमांचे नाव | मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३३ (१) पोटकलम तीन (ब) (एक) | | | |
| नियम | मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३३ (१) पोटकलम तीन (ब) (एक) | | | |
| शासन निर्णय | ----- | | | |
| परिपत्रके | ----- | | | |
| कार्यालयीन आदेश | ----- | | | |
| अ.क्र. | कामाचे स्वरूप | कालावधी दिवस | कामासाठी जबाबदार अधिकारी | अभिप्राय |
| १ | सार्वजनिक मनोरंजन कार्यक्रम घेण्यासाठी इमारत अथवा तात्पुरते मंडप उभारण्यास ना-हरकत देणे | ३० | जिल्हादंडाधिकारी अप्पर जिल्हादंडाधिकारी उपचिटणीस गृह | - |

कलम ४ (१) (ब) (iii)

निर्णय प्रक्रियेतील पर्यवेक्षण व जबाबदारीचे उत्तरदायित्व निश्चित करून कार्यपध्दतीचे प्रकाशन

| | | | | |
|---------------------|--|--------------|--|----------|
| कामाचे प्रकार / नाव | मनोरंजनाचे कार्यक्रमासाठी इमारत बांधकाम परवाना देणे | | | |
| कामाचे स्वरूप | मनोरंजनाचे कार्यक्रमासाठी इमारत बांधकाम परवाना देणे | | | |
| संबंधित तरतुद | Under Section १९० of The Rules for Licensing & Controlling places Public Amusement (Other than Cinemas) & Performances for Public Amusement including Melas & Tamashas, १९६० | | | |
| अधिनियमांचे नाव | मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३३ (१) पोटकलम तीन (ब) (एक) | | | |
| नियम | मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३३ (१) पोटकलम तीन (ब) (एक) | | | |
| शासन निर्णय | ----- | | | |
| परिपत्रके | ----- | | | |
| कार्यालयीन आदेश | ----- | | | |
| अ. क्र. | कामाचे स्वरूप | कालावधी दिवस | कामासाठी जबाबदार अधिकारी | अभिप्राय |
| १ | मनोरंजाचे कार्यक्रमासाठी इमारत बांधकाम परवाना देणे | ३० | जिल्हादंडाधिकारी अप्पर जिल्हादंडाधिकारी उपचिटणीस गृह | - |

कलम ४ (१) (ब) (iii)

निर्णय प्रक्रियेतील पर्यवेक्षण व जबाबदारीचे उत्तरदायित्व निश्चित करून कार्यपध्दतीचे प्रकाशन

| | | | | |
|---------------------|--|--------------|--|----------|
| कामाचे प्रकार / नाव | मनोरंजनाचे कार्यक्रम घेण्यासाठी प्रिमायसेस परवाना देणे | | | |
| कामाचे स्वरूप | मनोरंजनाचे कार्यक्रम घेण्यासाठी प्रिमायसेस परवाना देणे | | | |
| संबंधित तरतुद | Under Section १९२ of The Rules for Licensing & Controlling places Public Amusement (Other than Cinemas) & Performances for Public Amusement including Melas & Tamashas, १९६० | | | |
| अधिनियमांचे नाव | मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३३ (१) पोटकलम तीन (ब) (एक) | | | |
| नियम | मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३३ (१) पोटकलम तीन (ब) (एक) | | | |
| शासन निर्णय | ----- | | | |
| परिपत्रके | ----- | | | |
| कार्यालयीन आदेश | ----- | | | |
| अ.क्र. | कामाचे स्वरूप | कालावधी दिवस | कामासाठी जबाबदार अधिकारी | अभिप्राय |
| १ | मनोरंजनाचे कार्यक्रम घेण्यासाठी प्रिमायसेस परवाना देणे | ३० | जिल्हादंडाधिकारी अप्पर जिल्हादंडाधिकारी उपचिटणीस गृह | - |

कलम ४ (१) (ब) (iii)

निर्णय प्रक्रियेतील पर्यवेक्षण व जबाबदारीचे उत्तरदायित्व निश्चित करून कार्यपध्दतीचे प्रकाशन

| कामाचे प्रकार / नाव | मनोरंजनाचे कार्यक्रम परवाना देणे | | | |
|---------------------|--|--------------|--|----------|
| कामाचे स्वरूप | मनोरंजनाचे कार्यक्रम परवाना देणे | | | |
| संबंधित तरतुद | Under Section १९३ of The Rules for Licensing & Controlling places Public Amusement (Other than Cinemas) & Performances for Public Amusement including Melas & Tamashas, १९६० | | | |
| अधिनियमांचे नाव | मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३३ (१) पोटकलम तीन (ब) (एक) | | | |
| नियम | मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३३ (१) पोटकलम तीन (ब) (एक) | | | |
| शासन निर्णय | ----- | | | |
| परिपत्रके | ----- | | | |
| कार्यालयीन आदेश | ----- | | | |
| अ.क्र. | कामाचे स्वरूप | कालावधी दिवस | कामासाठी जबाबदार अधिकारी | अभिप्राय |
| १ | मनोरंजनाचे कार्यक्रम परवाना देणे | ३० | जिल्हादंडाधिकारी अप्पर जिल्हादंडाधिकारी उपचिटणीस गृह | - |

कलम ४ (१) (ब) (iii)

निर्णय प्रक्रियेतील पर्यवेक्षण व जबाबदारीचे उत्तरदायित्व निश्चित करून कार्यपध्दतीचे प्रकाशन

| कामाचे प्रकार / नाव | मनोरंजनाचे कार्यक्रम घेण्यासाठी तिकीट विक्री परवानगी देणे | | | |
|---------------------|--|--------------|--|----------|
| कामाचे स्वरूप | मनोरंजनाचे कार्यक्रम घेण्यासाठी तिकीट विक्री परवानगी देणे | | | |
| संबंधित तरतुद | Under Section १९४ of The Rules for Licensing & Controlling places Public Amusement (Other than Cinemas) & Performances for Public Amusement including Melas & Tamashas, १९६० | | | |
| अधिनियमांचे नाव | मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३३ (१) पोटकलम तीन (ब) (एक) | | | |
| नियम | मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३३ (१) पोटकलम तीन (ब) (एक) | | | |
| शासन निर्णय | ----- | | | |
| परिपत्रके | ----- | | | |
| कार्यालयीन आदेश | ----- | | | |
| अ.क्र. | कामाचे स्वरूप | कालावधी दिवस | कामासाठी जबाबदार अधिकारी | अभिप्राय |
| १ | मनोरंजनाचे कार्यक्रम घेण्यासाठी तिकीट विक्री परवानगी देणे | ३० | जिल्हादंडाधिकारी अप्पर जिल्हादंडाधिकारी उपचिटणीस गृह | - |

कलम ४ (१) (ब) (iii)

निर्णय प्रक्रियेतील पर्यवेक्षण व जबाबदारीचे उत्तरदायित्व निश्चित करून कार्यपध्दतीचे प्रकाशन

| कामाचे प्रकार / नाव | विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नेमणुका | | | |
|---------------------|---|--------------|--|----------|
| कामाचे स्वरूप | विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नेमणुका | | | |
| संबंधित तरतुद | फौजदारी व्यवहार प्रकीया संहिता १९७३ चे कलम २१ | | | |
| अधिनियमांचे नाव | फौजदारी व्यवहार प्रकीया संहिता १९७३ चे कलम २१ | | | |
| नियम | ----- | | | |
| शासन निर्णय | १. शासन सामान्य प्रशासन विभाग निर्णय क्रमांक विकाअ-१७९९/प्र.क्र.२७१/९९/०५ दिनांक :- ३०/११/१९९९ २. शासन सामान्य प्रशासन विभाग निर्णय क्रमांक विकाअ-१७०४/१०९२/प्र.क्र.१८५/२००४/०५ दिनांक :- २/४/२००५ | | | |
| परिपत्रके | ----- | | | |
| कार्यालयीन आदेश | ----- | | | |
| अ.क्र. | कामाचे स्वरूप | कालावधी दिवस | कामासाठी जबाबदार अधिकारी | अभिप्राय |
| १ | विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नेमणुका | ३० | जिल्हादंडाधिकारी अप्पर जिल्हादंडाधिकारी उपचिटणीस गृह | - |

कलम ४ (१) (ब) (iii)

निर्णय प्रक्रियेतील पर्यवेक्षण व जबाबदारीचे उत्तरदायित्व निश्चित करून कार्यपध्दतीचे प्रकाशन

| कामाचे प्रकार / नाव | स्फोटक (फटाके) परवाना देणे | | | |
|---------------------|-----------------------------------|--------------|--|----------|
| कामाचे स्वरूप | स्फोटक (फटाके) परवाना देणे | | | |
| संबंधित तरतुद | स्फोटक कायदा १८८४ चे नियम १९८३ | | | |
| अधिनियमांचे नाव | भारतीय स्फोटक कायदा १८८४ | | | |
| नियम | स्फोटक कायदा नियम १९८३ चे कलम १५५ | | | |
| शासन निर्णय | ----- | | | |
| परिपत्रके | ----- | | | |
| कार्यालयीन आदेश | ----- | | | |
| अ.क्र. | कामाचे स्वरूप | कालावधी दिवस | कामासाठी जबाबदार अधिकारी | अभिप्राय |
| १ | स्फोटक (फटाके) परवाना देणे | ३० | जिल्हादंडाधिकारी अप्पर जिल्हादंडाधिकारी उपचिटणीस गृह | - |

कलम ४ (१) (ब) (iii)

निर्णय प्रक्रियेतील पर्यवेक्षण व जबाबदारीचे उत्तरदायित्व निश्चित करून कार्यपध्दतीचे प्रकाशन

| कामाचे प्रकार / नाव | शस्त्र परवाना देणे | | | |
|---------------------|-----------------------------------|--------------|--|----------|
| कामाचे स्वरूप | शस्त्र परवाना देणे | | | |
| संबंधित तरतुद | शस्त्र परवाना कायदा १९५९ | | | |
| अधिनियमांचे नाव | शस्त्र परवाना कायदा १९५९ चे कलम ४ | | | |
| नियम | आम्स रूल्स १९६२ | | | |
| शासन निर्णय | ----- | | | |
| परिपत्रके | ----- | | | |
| कार्यालयीन आदेश | ----- | | | |
| अ.क्र. | कामाचे स्वरूप | कालावधी दिवस | कामासाठी जबाबदार अधिकारी | अभिप्राय |
| १ | शस्त्र परवाना देणे | ९० | जिल्हादंडाधिकारी अप्पर जिल्हादंडाधिकारी उपचिटणीस गृह | - |

कलम ४ (१) (ब) (iii)

निर्णय प्रक्रियेतील पर्यवेक्षण व जबाबदारीचे उत्तरदायित्व निश्चित करून कार्यपध्दतीचे प्रकाशन

| | | | | |
|---------------------|---|--------------|--|----------|
| कामाचे प्रकार / नाव | जातीचे प्रमाणपत्र निर्गमित करण्यासाठी प्रशासकीय दृष्ट्या उपजिल्हाधिकारी संवर्गातील अधिका-यांना कामाची वाटणी करणे. | | | |
| कामाचे स्वरूप | जातीचे प्रमाणपत्र निर्गमित करण्यासाठी प्रशासकीय दृष्ट्या उपजिल्हाधिकारी संवर्गातील अधिका-यांना कामाची वाटणी करणे. | | | |
| संबंधित तरतुद | ----- | | | |
| अधिनियमांचे नाव | जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्यांच्या पडताळणीचे विनियमन अधिनियम-२००० | | | |
| नियम | अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्यांच्या पडताळणीचे विनियमन नियम-२००३ | | | |
| शासन निर्णय | १) शासन अदिवासी विकास विभाग निर्णय क्रमांक STC-१६९६/प्रक्र५४/का-१०, दिनांक ०७/०३/१९९६ २) शासन समाज कल्याण सांस्कृतिक कार्य व क्रिडा विभाग निर्णय क्र.CBC/१०९६/प्रक्र ४८/मावक-५ दिनांक ०३/०६/१९९६ | | | |
| परिपत्रके | ----- | | | |
| कार्यालयीन आदेश | ----- | | | |
| अ.क्र. | कामाचे स्वरूप | कालावधी दिवस | कामासाठी जबाबदार अधिकारी | अभिप्राय |
| १ | जातीचे प्रमाणपत्र निर्गमित करण्यासाठी प्रशासकीय दृष्ट्या उपजिल्हाधिकारी संवर्गातील अधिका-यांना कामाची वाटणी करणे. | ०३ | जिल्हादंडाधिकारी अप्पर जिल्हादंडाधिकारी उपचिटणीस गृह | - |

कलम ४ (१) (ब) (iii)

निर्णय प्रक्रियेतील पर्यवेक्षण व जबाबदारीचे उत्तरदायित्व निश्चित करून कार्यपध्दतीचे प्रकाशन

| कामाचे प्रकार / नाव | विविध कार्यालयात नियुक्त कर्मचा-यांचे वर्तणूक व पुर्वचारित्र्य पडताळणी अहवाल पाठविणे | | | |
|---------------------|--|--------------|--|----------|
| कामाचे स्वरूप | विविध कार्यालयात नियुक्त कर्मचा-यांचे वर्तणूक व पुर्वचारित्र्य पडताळणी अहवाल पाठविणे | | | |
| संबंधित तरतुद | ----- | | | |
| अधिनियमांचे नाव | ----- | | | |
| नियम | ----- | | | |
| शासन निर्णय | शासन गृहविभाग परिपत्रक क्र.SB/MMM-१२७०/३/६२३ दिनांक २७ जून १९७० | | | |
| परिपत्रके | ----- | | | |
| कार्यालयीन आदेश | ----- | | | |
| अ.क्र. | कामाचे स्वरूप | कालावधी दिवस | कामासाठी जबाबदार अधिकारी | अभिप्राय |
| १ | विविध कार्यालयात नियुक्त कर्मचा-यांचे वर्तणूक व पुर्वचारित्र्य पडताळणी अहवाल पाठविणे | १५ | जिल्हादंडाधिकारी अप्पर जिल्हादंडाधिकारी उपचिटणीस गृह | - |

कलम ४ (१) (ब) (iii)

निर्णय प्रक्रियेतील पर्यवेक्षण व जबाबदारीचे उत्तरदायित्व निश्चित करून कार्यपध्दतीचे प्रकाशन

| कामाचे प्रकार / नाव | प्रेस चालविण्याचे घोषणापत्र साक्षांकन करणे | | | |
|---------------------|--|--------------|--|----------|
| कामाचे स्वरूप | प्रेस चालविण्याचे घोषणापत्र साक्षांकन करणे | | | |
| संबंधित तरतुद | ----- | | | |
| अधिनियमांचे नाव | प्रेस व रजिस्ट्रेशन ॲक्ट १८६७ चे कलम ४ (१) नुसार | | | |
| नियम | ----- | | | |
| शासन निर्णय | ----- | | | |
| परिपत्रके | ----- | | | |
| कार्यालयीन आदेश | ----- | | | |
| अ.क्र. | कामाचे स्वरूप | कालावधी दिवस | कामासाठी जबाबदार अधिकारी | अभिप्राय |
| १ | प्रेस चालविण्याचे घोषणापत्र साक्षांकन करणे | ०३ | जिल्हादंडाधिकारी अप्पर जिल्हादंडाधिकारी उपचिटणीस गृह | - |

कलम ४ (१) (ब) (iii)

निर्णय प्रक्रियेतील पर्यवेक्षण व जबाबदारीचे उत्तरदायित्व निश्चित करून कार्यपध्दतीचे प्रकाशन

| कामाचे प्रकार / नाव | वृत्तपत्र प्रकाशनाकरिता घोषणापत्र साक्षांकन करणे | | | |
|---------------------|---|-----------------|--|----------|
| कामाचे स्वरूप | वृत्तपत्र प्रकाशनाकरिता घोषणापत्र साक्षांकन करणे | | | |
| संबंधित तरतुद | ----- | | | |
| अधिनियमांचे नाव | प्रेस व रजिस्ट्रेशन ॲक्ट १८६७ चे कलम ५ नियम ३ नुसार | | | |
| नियम | ----- | | | |
| शासन निर्णय | ----- | | | |
| परिपत्रके | ----- | | | |
| कार्यालयीन आदेश | ----- | | | |
| अ.क्र. | कामाचे स्वरूप | कालावधी दिवस | कामासाठी जबाबदार अधिकारी | अभिप्राय |
| १ | वृत्तपत्र प्रकाशनाकरिता घोषणापत्र साक्षांकन करणे | ०३ | जिल्हादंडाधिकारी अप्पर जिल्हादंडाधिकारी उपचिटणीस गृह | - |

कलम ४ (१) (ब) (iii)

निर्णय प्रक्रियेतील पर्यवेक्षण व जबाबदारीचे उत्तरदायित्व निश्चित करून कार्यपध्दतीचे प्रकाशन

| कामाचे प्रकार / नाव | नवीन डिझेल /पेट्रोल पंप उभारण्यास ना हरकत प्रमाणपत्र देणे | | | |
|---------------------|---|--------------|--|----------|
| कामाचे स्वरूप | नवीन डिझेल /पेट्रोल पंप उभारण्यास ना हरकत प्रमाणपत्र देणे | | | |
| संबंधित तरतुद | ----- | | | |
| अधिनियमांचे नाव | पेट्रोलियम ॲक्ट १९३४ चे कलम १४४ नूसार | | | |
| नियम | ----- | | | |
| शासन निर्णय | ----- | | | |
| परिपत्रके | ----- | | | |
| कार्यालयीन आदेश | ----- | | | |
| अ.क्र. | कामाचे स्वरूप | कालावधी दिवस | कामासाठी जबाबदार अधिकारी | अभिप्राय |
| १ | नवीन डिझेल /पेट्रोल पंप उभारण्यास ना हरकत प्रमाणपत्र देणे | ३० | जिल्हादंडाधिकारी अप्पर जिल्हादंडाधिकारी उपचिटणीस गृह | - |

कलम ४ (१) (ब) (iii)

निर्णय प्रक्रियेतील पर्यवेक्षण व जबाबदारीचे उत्तरदायित्व निश्चित करून कार्यपध्दतीचे प्रकाशन

| कामाचे प्रकार / नाव | केरोसीन स्टोरेज परवाना देणे | | | |
|---------------------|--------------------------------------|-----------------|--|----------|
| कामाचे स्वरूप | केरोसीन स्टोरेज परवाना देणे | | | |
| संबंधित तरतुद | ----- | | | |
| अधिनियमांचे नाव | पेट्रोलियम अॅक्ट १९७६ चे कलम ४ नूसार | | | |
| नियम | ----- | | | |
| शासन निर्णय | ----- | | | |
| परिपत्रके | ----- | | | |
| कार्यालयीन आदेश | ----- | | | |
| अ.क्र. | कामाचे स्वरूप | कालावधी दिवस | कामासाठी जबाबदार अधिकारी | अभिप्राय |
| १ | केरोसीन स्टोरेज परवाना देणे | ३० | जिल्हादंडाधिकारी अप्पर जिल्हादंडाधिकारी उपचिटणीस गृह | - |

कलम ४ (१) (ब) (iii)

निर्णय प्रक्रियेतील पर्यवेक्षण व जबाबदारीचे उत्तरदायित्व निश्चित करून कार्यपध्दतीचे प्रकाशन

| कामाचे प्रकार / नाव | स्फोटक पदार्थ साठवणूक लायसन्स करिता ना हरकत प्रमाणपत्र देणे | | | |
|---------------------|---|--------------|--|----------|
| कामाचे स्वरूप | स्फोटक पदार्थ साठवणूक लायसन्स करिता ना हरकत प्रमाणपत्र देणे | | | |
| संबंधित तरतुद | ----- | | | |
| अधिनियमांचे नाव | स्फोटक कायदा १८८४ चे स्फोटक नियमांचे कलम (४) (५) (६) (७) | | | |
| नियम | ----- | | | |
| शासन निर्णय | ----- | | | |
| परिपत्रके | ----- | | | |
| कार्यालयीन आदेश | ----- | | | |
| अ.क्र. | कामाचे स्वरूप | कालावधी दिवस | कामासाठी जबाबदार अधिकारी | अभिप्राय |
| १ | स्फोटक पदार्थ साठवणूक लायसन्स करिता ना हरकत प्रमाणपत्र देणे | ९० | जिल्हादंडाधिकारी अप्पर जिल्हादंडाधिकारी उपचिटणीस गृह | - |

कलम ४ (१) (ब) (iii)

निर्णय प्रक्रियेतील पर्यवेक्षण व जबाबदारीचे उत्तरदायित्व निश्चित करून कार्यपध्दतीचे प्रकाशन

| कामाचे प्रकार / नाव | ब्लॉस्टिंग परवाना देणे | | | |
|---------------------|------------------------------|--------------|--|----------|
| कामाचे स्वरूप | ब्लॉस्टिंग परवाना देणे | | | |
| संबंधित तरतुद | ----- | | | |
| अधिनियमांचे नाव | स्फोटक कायदा १८८४ चे कलम १५५ | | | |
| नियम | ----- | | | |
| शासन निर्णय | ----- | | | |
| परिपत्रके | ----- | | | |
| कार्यालयीन आदेश | ----- | | | |
| अ.क्र. | कामाचे स्वरूप | कालावधी दिवस | कामासाठी जबाबदार अधिकारी | अभिप्राय |
| १ | ब्लॉस्टिंग परवाना देणे | ०७ | जिल्हादंडाधिकारी अप्पर जिल्हादंडाधिकारी उपचिटणीस गृह | - |

कलम ४ (१) (ब) (iii)

निर्णय प्रक्रियेतील पर्यवेक्षण व जबाबदारीचे उत्तरदायित्व निश्चित करून कार्यपध्दतीचे प्रकाशन

| कामाचे प्रकार / नाव | पोलीस कोठडीत / रखवालीत मृत्यू पावलेल्या व्यक्तीचे मृत्यूचे कारणांची दंडाधिकारीय चौकशी करणे | | | |
|---------------------|--|--------------|--|----------|
| कामाचे स्वरूप | पोलीस कोठडीत / रखवालीत मृत्यू पावलेल्या व्यक्तीचे मृत्यूचे कारणांची दंडाधिकारीय चौकशी करणे | | | |
| संबंधित तरतुद | फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १७४ व १७६ | | | |
| अधिनियमांचे नाव | फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १७४ व १७६ | | | |
| नियम | ----- | | | |
| शासन निर्णय | ----- | | | |
| परिपत्रके | ----- | | | |
| कार्यालयीन आदेश | ----- | | | |
| अ.क्र. | कामाचे स्वरूप | कालावधी दिवस | कामासाठी जबाबदार अधिकारी | अभिप्राय |
| १ | पोलीस कोठडीत / रखवालीत मृत्यू पावलेल्या व्यक्तीचे मृत्यूचे कारणांची दंडाधिकारीय चौकशी करणे | ९० | जिल्हादंडाधिकारी अप्पर जिल्हादंडाधिकारी उपचिटणीस गृह | - |

कलम ४ (१) (ब) (iii)

निर्णय प्रक्रियेतील पर्यवेक्षण व जबाबदारीचे उत्तरदायित्व निश्चित करून कार्यपध्दतीचे प्रकाशन

| कामाचे प्रकार / नाव | पोलीसांनी केलेल्या गोळीबारांची दंडाधिकारीय चौकशी करणे | | | |
|---------------------|--|--------------|--|----------|
| कामाचे स्वरूप | पोलीसांनी केलेल्या गोळीबारांची दंडाधिकारीय चौकशी करणे | | | |
| संबंधित तरतुद | ----- | | | |
| अधिनियमांचे नाव | ----- | | | |
| नियम | ----- | | | |
| शासन निर्णय | शासन गृहविभाग परिपत्रक क्रमांक MIS/३१९९/CR-३६२/विशेष-२ दिनांक-१०/०९/१९९९ | | | |
| परिपत्रके | ----- | | | |
| कार्यालयीन आदेश | ----- | | | |
| अ.क्र. | कामाचे स्वरूप | कालावधी दिवस | कामासाठी जबाबदार अधिकारी | अभिप्राय |
| १ | पोलीसांनी केलेल्या गोळीबारांची दंडाधिकारीय चौकशी करणे | १० | जिल्हादंडाधिकारी अप्पर जिल्हादंडाधिकारी उपचिटणीस गृह | - |

कलम ४ (१) (ब) (iii)

निर्णय प्रक्रियेतील पर्यवेक्षण व जबाबदारीचे उत्तरदायित्व निश्चित करून कार्यपध्दतीचे प्रकाशन

| | | | | |
|---------------------|---|--------------|--|----------|
| कामाचे प्रकार / नाव | सिनेमा परवाना देणे | | | |
| कामाचे स्वरूप | सिनेमा परवाना देणे | | | |
| संबंधित तरतुद | महाराष्ट्र चित्रपटगृहे (विनियमन) नियम १९६६ चे नियम १०० अन्वये कार्यवाही करून घेणे आणि तद्नंतर मुंबई करमणूक शुल्क अधिनियम शुल्क अधिनियम १९२३ चे कलम ४(२)(ब) ची परवानगी व मुंबई सिनेमा (विनियमन) अधिनियम १९५३ नुसार परवानगी देणे बाबत तरतुद आहे | | | |
| अधिनियमांचे नाव | मुंबई करमणूक शुल्क अधिनियम १९२३, मुंबई सिनेमा (विनियमन) अधिनियम १९५३ | | | |
| नियम | महाराष्ट्र चित्रपटगृहे (विनियमन) नियम १९६६ चे नियम | | | |
| शासन निर्णय | ----- | | | |
| परिपत्रके | ----- | | | |
| कार्यालयीन आदेश | ----- | | | |
| अ.क्र. | कामाचे स्वरूप | कालावधी दिवस | कामासाठी जबाबदार अधिकारी | अभिप्राय |
| १ | सिनेमा परवाना देणे | १ वर्ष | जिल्हादंडाधिकारी अप्पर जिल्हादंडाधिकारी उपचिटणीस गृह | - |

कलम ४ (१) (ब) (iii)

निर्णय प्रक्रियेतील पर्यवेक्षण व जबाबदारीचे उत्तरदायित्व निश्चित करून कार्यपध्दतीचे प्रकाशन

| कामाचे प्रकार / नाव | दिवंगत स्वातंत्र्य सैनिकांचे अंत्यविधी करीता आर्थिक अनुदान | | | |
|---------------------|---|--------------|---|----------|
| कामाचे स्वरूप | दिवंगत स्वातंत्र्य सैनिकांचे अंत्यविधी करीता आर्थिक अनुदान | | | |
| संबंधित तरतुद | - | | | |
| अधिनियमांचे नाव | - | | | |
| नियम | - | | | |
| शासन निर्णय | १) सामान्य प्रशासन विभाग क्र.पीओएस-१०८२/विक-१/स्वासै, दि.२४/१२/१९८२ २) सामान्य प्रशासन विभाग क्र.पीओएस-१२९२/प्र.क्र.१०२/९२/स्वासैकक्ष दि.७/८/१९९२ ३) शासन शुध्दीपत्र क्र.पीओएस-१२९२/प्रक्र१०२/९२/स्वासै कक्ष दि२२/१०/१९९३ | | | |
| परिपत्रके | ----- | | | |
| कार्यालयीन आदेश | ----- | | | |
| अ.क्र. | कामाचे स्वरूप | कालावधी दिवस | कामासाठी जबाबदार अधिकारी | अभिप्राय |
| १ | दिवंगत स्वातंत्र्य सैनिकांचे अंत्यविधी करीता आर्थिक अनुदान | १० दिवस | अप्पर जिल्हाधिकारी निवासी उपजिल्हाधिकारी उपचिटणीस गृह | - |

कलम ४ (१) (ब) (iii)

निर्णय प्रक्रियेतील पर्यवेक्षण व जबाबदारीचे उत्तरदायित्व निश्चित करून कार्यपध्दतीचे प्रकाशन

| कामाचे प्रकार / नाव | दिवंगत स्वातंत्र्य सैनिकांचे पश्चात वारस पत्नीस पेन्शन मंजूर करणे व ओळखपत्र मिळणे बाबत | | | |
|---------------------|---|--------------|---|----------|
| कामाचे स्वरूप | दिवंगत स्वातंत्र्य सैनिकांचे पश्चात वारस पत्नीस पेन्शन मंजूर करणे व ओळखपत्र मिळणे बाबत | | | |
| संबंधित तरतुद | - | | | |
| अधिनियमांचे नाव | - | | | |
| नियम | - | | | |
| शासन निर्णय | १) सामान्य प्रशासन विभाग क्र.पीओएस-१०८३/५७७/विक-१/स्वासै, दि.३/८/१९८३ २) सामान्य प्रशासन विभाग क्र.पीओएस-१०८३/५७७/विक-१/स्वासै दि.३/१/१९८४ | | | |
| परिपत्रके | ----- | | | |
| कार्यालयीन आदेश | ----- | | | |
| अ.क्र. | कामाचे स्वरूप | कालावधी दिवस | कामासाठी जबाबदार अधिकारी | अभिप्राय |
| १ | दिवंगत स्वातंत्र्य सैनिकांचे पश्चात वारस पत्नीस पेन्शन मंजूर करणे व ओळखपत्र मिळणे बाबत | १० दिवस | अप्पर जिल्हाधिकारी निवासी उपजिल्हाधिकारी उपचिटणीस गृह | - |

कलम ४ (१) (ब) (iii)

निर्णय प्रक्रियेतील पर्यवेक्षण व जबाबदारीचे उत्तरदायित्व निश्चित करून कार्यपध्दतीचे प्रकाशन

| कामाचे प्रकार / नाव | स्वातंत्र्य सैनिकांस आजार झाल्यामुळे वैद्यकीय आर्थिक सहाय्य मिळणे | | | |
|---------------------|--|--------------|---|----------|
| कामाचे स्वरूप | स्वातंत्र्य सैनिकांस आजार झाल्यामुळे वैद्यकीय आर्थिक सहाय्य मिळणे | | | |
| संबंधित तरतुद | - | | | |
| अधिनियमांचे नाव | - | | | |
| नियम | - | | | |
| शासन निर्णय | १) सामान्य प्रशासन विभाग क्र.१२९०/६१४/सीएफएस/स्वासै, दि.९/१०/१९९१ २) सामान्य प्रशासन विभाग क्र.पीओएस-१२९२/प्रक्र १०२/९२/स्वासैकक्ष दि.७/८/१९९२ ३) शासन पत्र क्र.पीओएस १२९२ दिनांक २२/१०/१९९३ | | | |
| परिपत्रके | ----- | | | |
| कार्यालयीन आदेश | ----- | | | |
| अ.क्र. | कामाचे स्वरूप | कालावधी दिवस | कामासाठी जबाबदार अधिकारी | अभिप्राय |
| १ | स्वातंत्र्य सैनिकांस आजार झाल्यामुळे वैद्यकीय आर्थिक सहाय्य मिळणे | ३० दिवस | अप्पर जिल्हाधिकारी निवासी उपजिल्हाधिकारी उपचिटणीस गृह | - |

कलम ४ (१) (ब) (iii)

निर्णय प्रक्रियेतील पर्यवेक्षण व जबाबदारीचे उत्तरदायित्व निश्चित करून कार्यपध्दतीचे प्रकाशन

| कामाचे प्रकार / नाव | स्वातंत्र्य सैनिकांचे मुलीचे विवाह पित्यर्थ आर्थिक अनुदान | | | |
|---------------------|---|--------------|---|----------|
| कामाचे स्वरूप | स्वातंत्र्य सैनिकांचे मुलीचे विवाह पित्यर्थ आर्थिक अनुदान | | | |
| संबंधित तरतुद | - | | | |
| अधिनियमांचे नाव | - | | | |
| नियम | - | | | |
| शासन निर्णय | सामान्य प्रशासन विभाग क्र. पीओएस-१०८२/विक-१/स्वासै, दि.६/१०/१९८२, ३१/१०/१९८३, २४/१२/१९८२, १६/२/१९८९ | | | |
| परिपत्रके | ----- | | | |
| कार्यालयीन आदेश | ----- | | | |
| अ.क्र. | कामाचे स्वरूप | कालावधी दिवस | कामासाठी जबाबदार अधिकारी | अभिप्राय |
| १ | स्वातंत्र्य सैनिकांचे मुलीचे विवाह पित्यर्थ आर्थिक अनुदान | १० दिवस | अप्पर जिल्हाधिकारी निवासी उपजिल्हाधिकारी उपचिटणीस गृह | - |

कलम ४ (१) (ब) (iii)

निर्णय प्रक्रियेतील पर्यवेक्षण व जबाबदारीचे उत्तरदायित्व निश्चित करून कार्यपध्दतीचे प्रकाशन

| कामाचे प्रकार / नाव | स्वातंत्र्य सैनिक किंवा स्वातंत्र्य सैनिकांचे वारसास नौकरी विषयक नामनिर्देशन करणे बाबत | | | |
|---------------------|--|--------------|---|----------|
| कामाचे स्वरूप | स्वातंत्र्य सैनिक किंवा स्वातंत्र्य सैनिकांचे वारसास नौकरी विषयक नामनिर्देशन करणे बाबत | | | |
| संबंधित तरतुद | - | | | |
| अधिनियमांचे नाव | - | | | |
| नियम | - | | | |
| शासन निर्णय | १) सामान्य प्रशासन विभाग क्र.सीएनएस-१०८४/सीआर-११३/१६-अ, दिनांक १०/१/१९८५ २) सामान्य प्रशासन विभाग क्र.सीएनएस/१००४/८०२/प्रक्र-४२/०२/१६ अ दिनांक ०६/०८/२००४ | | | |
| परिपत्रके | सामान्य प्रशासन विभाग क्र. सीएनएस/१०६५/४६५२-जे/ दिनांक १२/१०/१९६५ | | | |
| कार्यालयीन आदेश | ----- | | | |
| अ.क्र. | कामाचे स्वरूप | कालावधी दिवस | कामासाठी जबाबदार अधिकारी | अभिप्राय |
| १ | स्वातंत्र्य सैनिक किंवा स्वातंत्र्य सैनिकांचे वारसास नौकरी विषयक नामनिर्देशन करणे बाबत | ३० दिवस | अप्पर जिल्हाधिकारी निवासी उपजिल्हाधिकारी उपचिटणीस गृह | - |

कलम ४ (१) (ब) (iii)

निर्णय प्रक्रियेतील पर्यवेक्षण व जबाबदारीचे उत्तरदायित्व निश्चित करून कार्यपध्दतीचे प्रकाशन

| कामाचे प्रकार / नाव | स्वातंत्र्य सैनिक पेन्शन प्रकरण मंजूर करणे बाबत | | | |
|---------------------|---|--------------|---|----------|
| कामाचे स्वरूप | स्वातंत्र्य सैनिक पेन्शन प्रकरण मंजूर करणे बाबत | | | |
| संबंधित तरतुद | - | | | |
| अधिनियमांचे नाव | - | | | |
| नियम | - | | | |
| शासन निर्णय | सामान्य प्रशासन विभाग क्र.पीओएस-१०९३/प्र.क्र. १२७/स्वासैकक्ष, दिनांक ४/७/१९९५ | | | |
| परिपत्रके | ----- | | | |
| कार्यालयीन आदेश | ----- | | | |
| अ.क्र. | कामाचे स्वरूप | कालावधी दिवस | कामासाठी जबाबदार अधिकारी | अभिप्राय |
| १ | स्वातंत्र्य सैनिक पेन्शन प्रकरण मंजूर करणे बाबत | ६० दिवस | अप्पर जिल्हाधिकारी निवासी उपजिल्हाधिकारी उपचिटणीस गृह | - |

कलम ४ (१) (ब) (iii)

निर्णय प्रक्रियेतील पर्यवेक्षण व जबाबदारीचे उत्तरदायित्व निश्चित करून कार्यपध्दतीचे प्रकाशन

| कामाचे प्रकार / नाव | स्वातंत्र्य सैनिकांना विनामुल्य प्रवासासाठी एस.टी.पास देणे बाबत | | | |
|---------------------|---|--------------|---|----------|
| कामाचे स्वरूप | स्वातंत्र्य सैनिकांना आणि त्याची/तिचा पत्नी, पती अथवा एक साथीदार यास वर्षभर विनामुल्य प्रवास सवलत (एस.टी.पास) देणे बाबत | | | |
| संबंधित तरतुद | - | | | |
| अधिनियमांचे नाव | - | | | |
| नियम | - | | | |
| शासन निर्णय | सामान्य प्रशासन विभाग क्र.पीओएस-१०९०/प्रक्र ७७/९०/स्वासै कक्ष, दि.२६३/१२/१९९० | | | |
| परिपत्रके | ----- | | | |
| कार्यालयीन आदेश | ----- | | | |
| अ.क्र. | कामाचे स्वरूप | कालावधी दिवस | कामासाठी जबाबदार अधिकारी | अभिप्राय |
| १ | स्वातंत्र्य सैनिकांना विनामुल्य प्रवासासाठी एस.टी.पास देणे बाबत | ३० दिवस | अप्पर जिल्हाधिकारी निवासी उपजिल्हाधिकारी उपचिटणीस गृह | - |

कलम ४ (१) (ब) (iii)

निर्णय प्रक्रियेतील पर्यवेक्षण व जबाबदारीचे उत्तरदायित्व निश्चित करून कार्यपध्दतीचे प्रकाशन

| अ.क्र. | काम/कार्य | कामाचे प्रमाण | आर्थिक लक्ष | अभिप्राय |
|--------|------------------------------------|---|-------------|----------|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ |
| १ | करमणूक केद्राची नियमित तपासणी करणे | १) सहाय्यक करमणूक कर अधिकारी महिना मध्ये तपासण्या २) करमणूक कर निरीक्षण तपासण्या ३) करमणूक कराची चुकवेगिरी होवू नये या करिता नियमित तपासणी करणे ४) करमणूक कराचा वेळेवर भरणा होतो काय या बाबत तपासणी करणे ५) अनाधिकृत करमणूक केंद्र शोधणे व त्या विरूद्ध दंडात्मक कार्यवाही करणे | | |

कलम ४ (१) (ब) (iv)

कामाची कालमर्यादा करमणूक कर विभागात काम पुर्ण होण्यासाठी प्रत्येक कामाची कालमर्यादा :-

| अ.क्र. | काम/कार्य | दिवस/तास काम पुर्ण करण्यासाठी | जबाबदार अधिकारी | तक्रार निवारण अधिकारी |
|--------|--|-------------------------------|--|--------------------------------|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ |
| १ | सिनेमागृहांना परवाना देणे, परवाना नुतनीकरण करून देणे | ३० दिवस | जिल्हादंडाधिकारी अप्पर जिल्हादंडाधिकारी उपचिटणीस गृह | मा.विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद |
| २ | व्हिडीओगृहांना परवाना देणे, परवाना नुतनीकरण करून देणे | ३० दिवस | -----“----- | -----“----- |
| ३ | केबल चालकांना परवाना देणे, परवाना नुतनीकरण करून देणे | १० दिवस | -----“----- | -----“----- |
| ४ | अनाधिकृत करमणूक केंद्राविरूद्ध दंडात्मक कार्यवाही करणे | १० दिवस | -----“----- | -----“----- |
| ५ | करमणूक कराची चुकवेगिरी करणा-या करमणूक केंद्राविरूद्ध दंडात्मक कार्यवाही करणे | १० दिवस | -----“----- | -----“----- |

कलम ४ (१) (ब) (v) नमुना - अ

करमणूक कर विभाग

जिल्हाधिकारी कार्यालय, जालना येथील करमणूक कर विभागातील अधिकारी/कर्मचारी यांचे कामाशी संबंधित नियम/अधिनियम

| अ.क्र | सूचना पत्रकानुसार दिलेले विषय | नियमक क्रमांक व वर्ष | अभिप्राय असल्यास |
|-------|--|--|------------------|
| १ | २ | ३ | ४ |
| १ | करमणूक केंद्राना परवाना देणे, परवाना नुतनीकरण करून देणे, परवाना रद्द करणे | १) मुंबई करमणूक कर अधिनियम १९२३ चे कलम ४ (२) (ब) २) मुंबई करमणूक कर नियम १९५८ ३) महाराष्ट्र चित्रपटगृह (विनियमन) नियम १९६६ नुसार मुंबई सिनेमा (विनियमन) अधिनियम १९५३ | |
| २ | केबल चालकांना परवानगी देणे, नोंदणी पत्र व ४ (२) (ब) चा परवाना देणे, परवाना नुतनीकरण करणे | १) दि मुंबई टेलिव्हिजन नेटवर्क (रेग्यूलेशन) अॅक्ट १९९५ २) मुंबई करमणूक कर अधिनियम १९२३ चे कलम ४ (२) (ब) नुसार | |
| ३ | केबल चालकांकडून महिन्यांचे १ तारखेस जोडणी धारकांची यादी घेवून त्यानुसार करमणूक कराची आकारणी करणे | १) दि केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क (रेग्यूलेशन) अॅक्ट १९९५ २) मुंबई करमणूक कर अधिनियम १९२३ चे कलम ४ (२) (ब) नुसार | |
| ४ | केबल चालकाने विहित मुदतीत करमणूक कराचा भरणा न केल्यास केबल सिल करणे, दंडात्मक कार्यवाही करणे, दंड व्याजाची आकारणी करणे | १) दि केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क (रेग्यूलेशन) अॅक्ट १९९५ २) मुंबई करमणूक कर अधिनियम १९२३ चे कलम ९ (अ) नुसार | |

| | | | |
|----|---|--|--|
| ५ | १) करमणूक केंद्राची तपासणी करणे २) करमणूक केंद्राचे अभिलेखानुसार तपासणी करणे ३) महाराष्ट्र चित्रपटगृह विनियमन नियम १९६६ नुसार संचालकास घातलेल्या अटीचे पालन झालेले आहे किंवा नाही याची तपासणी करणे ४) संचालकाने करमणूक कराचा भरणा वेळेवर केला आहे किंवा कसे याबाबत तपासणी करणे | १) मुंबई करमणूक कर अधिनियम १९२३ चे कलम ८ (अ) नुसार २) महाराष्ट्र चित्रपटगृह विनियमन नियम १९६६ नुसार ३) मुंबई करमणूक शुल्क १९५८ | |
| ६ | करमणूक कराची आकारणी करणे | मुंबई करमणूक कर अधिनियम १९२३ चे कलम ४ नुसार | |
| ७ | अतिरिक्त खेळास परवानगी देणे उदा.स्पेशल मॉर्निंग शो, मिडनाईड शो | मुंबई करमणूक कर अधिनियम १९५३ चे कलम १० नुसार | |
| ८ | यात्रेतील फिरत्या चित्रपटगृहांना परवानगी देणे | मुंबई करमणूक कर अधिनियम १९२३ चे कलम ४ (२)(ब) नुसार | |
| ९ | सेवा शुल्काचे विनियोजन संचालकाने बरोबर न केल्यास त्या रक्कमेवर करमणूक कराची आकारणी करणे | मुंबई करमणूक कर अधिनियम १९२३ चे कलम ४ चे पोटकलम २ ते ५ नुसार | |
| १० | अनाधिकृत करमणूक केंद्राविरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करणे | मुंबई करमणूक कर अधिनियम १९२३ चे कलम ४ (२)(ब) नुसार | |
| ११ | करमणूक केंद्रावरील प्रत्येक खेळाचे तिकिटे प्रमाणीत करून देणे | १) मुंबई करमणूक कर अधिनियम १९२३ चे कलम ४ (२)(ब) नुसार २) मुंबई करमणूक शुल्क नियम १९५८ नुसार | |
| १२ | जाहीरात कराची वसुली करणे | महाराष्ट्र जाहीरात कर अधिनियम १९६७ चे कलम ३ नुसार | |

कलम ४ (१) (ब) (v) नमुना - ब

करमणूक कर विभागातील कामाशी संबंधित शासन निर्णय

| अ.क्र. | शासन निर्णयानुसार दिलेले विषय | शासन निर्णय क्रमांक व तारीख | अभिप्राय असल्यास |
|--------|---|--|------------------|
| १ | स्थायी चिजपटगृह ,फिरते चिजपटगृहाकडील जमा झालेला सेवा शुल्काचे हिशोब तपासणी करणे | महाराष्ट्र शासन महसूल वन विभाग शासन निर्णय क्रमांक इएनटी १०९५/प्र.क्र. २८/टी-१ २ मे १९९८ नुसार | |
| २ | सेवा शुल्काचे विनियोजन संचालकाने बरोबर न केल्यास त्या रक्कमेवर करमणूक कराची आकारणी करणे | महाराष्ट्र शासन महसूल वन विभाग शासन निर्णय क्रमांक इएनटी १०९५/प्र.क्र. २८/टी-१ २ मे १९९८ नुसार | |

कलम ४ (१) (ब) (v) नमुना - क

करमणूक कर विभागातील कामाशी संबंधित परिपत्रके

| अ.क्र. | शासन पत्रकानुसार दिलेले विषय | परिपत्रक क्रमांक व तारीख | अभिप्राय असल्यास |
|--------|-----------------------------------|--|------------------|
| १ | तिकीट दराचे बदलास परवानगी देणे | शासन परिपत्रक क्र. ईएनटी १०९४/प.क्र. १७३ /भाग २ टी-१ दिनांक २७ सप्टेंबर १९९४ | |
| २ | आसन क्षमतेमधील बदलास परवानगी देणे | शासन परिपत्रक क्र.बीसीआर ०१२००३/२९९ विशा-५ दिनांक २४ सप्टेंबर २००३ | |

कलम ४ (१) (ब) (v) नमुना - ड

करमणूक कर विभागातील कामाशी संबंधित आदेश / धोरणात्मक परिपत्रके

| अ.क्र. | विषय | क्रमांक व तारीख | अभिप्राय असल्यास |
|--------|-------------------------|--|------------------|
| १ | चॉरटी शोला परवानगी देणे | शासन आदेश क्र. इएनटी ११७६/ २१५६३/अे १११ दिनांक २३ मार्च १९७८ | |

कलम ४ (१) (ब) (v) नमुना - इ

जिल्हाधिकारी कार्यालय जालना येथील करमणूक कर विभागातील कार्यालयामध्ये उपलब्ध दस्त ऐवजाची यादी

| अ.क्र. | दस्त ऐवजाचा प्रकार | विषय | संबंधित व्यक्ती /पदनाम | व्यक्तीचे ठिकाण/ उपरोक्त कार्यालयात उपलब्ध नसल्यास |
|--------|--|--|---|--|
| १. | २. | ३. | ४. | ५. |
| १. | सिनेमा परवाना संचिका | सिनेमा परवाना मंजूर करणे व नुतनीकरण करणे | जिल्हादंडाधिकारी अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी | जिल्हाधिकारी कार्यालय जालना |
| २. | व्हिडीओगृह परवाना संचिका | व्हिडीओगृहाचा परवाना मंजूर करणे व नुतनीकरण करणे | जिल्हादंडाधिकारी अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी | जिल्हाधिकारी कार्यालय जालना |
| ३. | केबल परवाना संचिका | केबल परवाना मंजूर करणे व नुतनीकरण करणे | जिल्हादंडाधिकारी अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी | जिल्हाधिकारी कार्यालय जालना |
| ४. | व्हिडीओखेळ गृहाचा परवाना संचिका | व्हिडीओखेळ परवाना मंजूर करणे व नुतनीकरण करणे | जिल्हादंडाधिकारी अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी | जिल्हाधिकारी कार्यालय जालना |
| ५. | अनाधिकृत करमणूक केंद्रा विरुद्ध व करमणूक कराची चुकवेगिरी करणा-या विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करणे, दंडाचे आदेश पारीत करणे | अनाधिकृत करमणूक केंद्रा विरुद्ध व करमणूक कराची चुकवेगिरी करणा-या विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करणे, दंडाचे आदेश पारीत करणे | जिल्हादंडाधिकारी अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी | जिल्हाधिकारी कार्यालय जालना |
| ६. | सेवा शुल्काचे हिशोब तपासणी करणे व त्याचे आदेश पारीत करणे | सेवा शुल्काचे हिशोब तपासणी करणे व त्याचे आदेश पारीत करणे | जिल्हादंडाधिकारी अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी | जिल्हाधिकारी कार्यालय जालना |
| ७. | लेखा परिक्षण अहवालातील रक्कम वसूल करणे | लेखा परिक्षण अहवालातील रक्कम वसूल करणे | जिल्हादंडाधिकारी अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी | जिल्हाधिकारी कार्यालय जालना |
| ८. | मुंबई करमणूक शुल्क अधिनियम १९२३ चे कलम ८ चे अधिकार प्रदान करणे | मुंबई करमणूक शुल्क अधिनियम १९२३ चे कलम ८ चे अधिकार प्रदान करणे | जिल्हादंडाधिकारी अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी | जिल्हाधिकारी कार्यालय जालना |

कलम ४ (१) (ब) (v) नमुना - अ

मनोरंजनाचे कार्यक्रम घेण्यासाठी इमारत अथवा तात्पुरते मंडप उभारण्यास ना हरकत प्रमाणपत्र देणे
कामाशी संबंधित नियम/ अधिनियम

| अ.क्र. | सूचना पत्रकानुसार दिलेले विषय | नियमक क्रमांक व वर्ष | अभिप्राय असल्यास |
|--------|---|--|------------------|
| १ | २ | ३ | ४ |
| १ | मनोरंजनाचे कार्यक्रम घेण्यासाठी इमारत अथवा तात्पुरते मंडप उभारण्यास ना हरकत प्रमाणपत्र देणे | मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३३ (१) पोटकलम तीन (ब) (एक) Under section १९० of the Rules for Licensing & Controlling places of Public Amusement (Other than Cinemas) & Performances for public Amusement including Melas & Tamashas १९६० | |

कलम ४ (१) (ब) (v) नमुना - ब

मनोरंजनाचे कार्यक्रम घेण्यासाठी इमारत अथवा तात्पुरते मंडप उभारण्यास ना हरकत प्रमाणपत्र देणे
कामाशी संबंधित नियम/ अधिनियम

| अ.क्र. | सूचना पत्रकानुसार दिलेले विषय | नियमक क्रमांक व वर्ष | अभिप्राय असल्यास |
|--------|---|----------------------|------------------|
| १ | २ | ३ | ४ |
| १ | मनोरंजनाचे कार्यक्रम घेण्यासाठी इमारत अथवा तात्पुरते मंडप उभारण्यास ना हरकत प्रमाणपत्र देणे | Amendment Rules | |

कलम ४ (१) (ब) (v) नमुना - क

मनोरंजनाचे कार्यक्रम घेण्यासाठी इमारत अथवा तात्पुरते मंडप उभारण्यास ना हरकत प्रमाणपत्र देणे
कामाशी संबंधित नियम/ अधिनियम

| अ.क्र. | सूचना पत्रकानुसार दिलेले विषय | नियमक क्रमांक व वर्ष | अभिप्राय असल्यास |
|--------|---|----------------------|------------------|
| १ | २ | ३ | ४ |
| १ | मनोरंजनाचे कार्यक्रम घेण्यासाठी इमारत अथवा तात्पुरते मंडप उभारण्यास ना हरकत प्रमाणपत्र देणे | -- | |

कलम ४ (१) (ब) (v) नमुना - ड

मनोरंजनाचे कार्यक्रम घेण्यासाठी इमारत अथवा तात्पुरते मंडप उभारण्यास ना हरकत प्रमाणपत्र देणे
कामाशी संबंधित नियम/ अधिनियम

| अ.क्र. | सूचना पत्रकानुसार दिलेले विषय | नियमक क्रमांक व वर्ष | अभिप्राय असल्यास |
|--------|---|----------------------|------------------|
| १ | २ | ३ | ४ |
| १ | मनोरंजनाचे कार्यक्रम घेण्यासाठी इमारत अथवा तात्पुरते मंडप उभारण्यास ना हरकत प्रमाणपत्र देणे | -- | |

कलम ४ (१) (ब) (v) नमुना - इ

मनोरंजनाचे कार्यक्रम घेण्यासाठी इमारत अथवा तात्पुरते मंडप उभारण्यास ना हरकत प्रमाणपत्र देणे
जिल्हाधिकारी कार्यालय जालना येथील गृह विभागीतील कार्यालयामध्ये उपलब्ध दस्त ऐवजाची यादी

| अ.क्र. | दस्त ऐवजाचा प्रकार | विषय | संबंधित व्यक्ती /पदनाम | व्यक्तीचे ठिकाण/ उपरोक्त कार्यालयात उपलब्ध नसल्यास |
|--------|--------------------|---|--|--|
| १. | २. | ३. | ४. | ५. |
| १. | अ | मनोरंजनाचे कार्यक्रम घेण्यासाठी इमारत अथवा तात्पुरते मंडप उभारण्यास ना हरकत प्रमाणपत्र देणे | जिल्हादंडाधिकारी अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी | जिल्हाधिकारी कार्यालय जालना |

कलम ४ (१) (ब) (v) नमुना - अ

मनोरंजनाचे कार्यक्रम घेण्यासाठी प्रीमायसेस परवाना देणे
कामाशी संबंधित नियम/ अधिनियम

| अ.क्र. | सूचना पत्रकानुसार दिलेले विषय | नियमक क्रमांक व वर्ष | अभिप्राय असल्यास |
|--------|--|---|------------------|
| १ | २ | ३ | ४ |
| १ | मनोरंजनाचे कार्यक्रम घेण्यासाठी प्रीमायसेस परवाना देणे | मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३३ (१) पोटकलम तीन (ब) (एक) Under section १९० of the Rules for Licensing & Controlling places of Public Amusement (Ohter than Cenemas) & Performances for publice Amusement including Melas & Tamashas १९६० | |

कलम ४ (१) (ब) (v) नमुना - ब

मनोरंजनाचे कार्यक्रम घेण्यासाठी प्रीमायसेस परवपाना देणे
कामाशी संबंधित नियम/ अधिनियम

| अ.क्र. | सूचना पत्रकानुसार दिलेले विषय | नियमक क्रमांक व वर्ष | अभिप्राय असल्यास |
|--------|--|----------------------|------------------|
| १ | २ | ३ | ४ |
| १ | मनोरंजनाचे कार्यक्रम घेण्यासाठी प्रीमायसेस परवाना देणे | Amendment Rules | |

कलम ४ (१) (ब) (v) नमुना - क

मनोरंजनाचे कार्यक्रम घेण्यासाठी प्रीमायसेस परवाना देणे
कामाशी संबंधित नियम/ अधिनियम

| अ.क्र. | सूचना पत्रकानुसार दिलेले विषय | नियमक क्रमांक व वर्ष | अभिप्राय असल्यास |
|--------|---|----------------------|------------------|
| १ | २ | ३ | ४ |
| १ | मनोरंजनाचे कार्यक्रम घेण्यासाठी प्रीमासेस परवाना देणे | -- | |

कलम ४ (१) (ब) (v) नमुना - ड

मनोरंजनाचे कार्यक्रम घेण्यासाठी प्रीमासेस परवाना देणे
कामाशी संबंधित नियम/ अधिनियम

| अ.क्र. | सूचना पत्रकानुसार दिलेले विषय | नियमक क्रमांक व वर्ष | अभिप्राय असल्यास |
|--------|---|----------------------|------------------|
| १ | २ | ३ | ४ |
| १ | मनोरंजनाचे कार्यक्रम घेण्यासाठी प्रीमासेस परवाना देणे | -- | |

कलम ४ (१) (ब) (v) नमुना - इ

मनोरंजनाचे कार्यक्रम घेण्यासाठी प्रीमासेस परवाना देणे
जिल्हाधिकारी कार्यालय जालना येथील गृह विभागातील कार्यालयामध्ये उपलब्ध दस्त ऐवजाची यादी

| अ.क्र. | दस्त ऐवजाचा प्रकार | विषय | संबंधित व्यक्ती /पदनाम | व्यक्तीचे ठिकाण/ उपरोक्त कार्यालयात उपलब्ध नसल्यास |
|--------|--------------------|---|---|--|
| १. | २. | ३. | ४. | ५. |
| १. | अ | मनोरंजनाचे कार्यक्रम घेण्यासाठी प्रीमासेस परवाना देणे | जिल्हादंडाधिकारी अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी | जिल्हाधिकारी कार्यालय जालना |

कलम ४ (१) (ब) (v) नमुना - अ

मनोरंजनाचे कार्यक्रम परवाना देणे
कामाशी संबंधित नियम/ अधिनियम

| अ.क्र. | सूचना पत्रकानुसार दिलेले विषय | नियमक क्रमांक व वर्ष | अभिप्राय असल्यास |
|--------|----------------------------------|---|------------------|
| १ | २ | ३ | ४ |
| १ | मनोरंजनाचे कार्यक्रम परवाना देणे | मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३३ (१) पोटकलम तीन (ब) (एक) Under section १९० of the Rules for Licensing & Controlling places of Public Amusement (Ohter than Cenemas) & Performances for publice Amusement including Melas & Tamashas १९६० | |

कलम ४ (१) (ब) (v) नमुना - ब

मनोरंजनाचे कार्यक्रम परवपाना देणे
कामाशी संबंधित नियम/ अधिनियम

| अ.क्र. | सूचना पत्रकानुसार दिलेले विषय | नियमक क्रमांक व वर्ष | अभिप्राय असल्यास |
|--------|----------------------------------|----------------------|------------------|
| १ | २ | ३ | ४ |
| १ | मनोरंजनाचे कार्यक्रम परवाना देणे | Amendment Rules | |

कलम ४ (१) (ब) (v) नमुना - क

मनोरंजनाचे कार्यक्रम परवाना देणे
कामाशी संबंधित नियम/ अधिनियम

| अ.क्र. | सूचना पत्रकानुसार दिलेले विषय | नियमक क्रमांक व वर्ष | अभिप्राय असल्यास |
|--------|----------------------------------|----------------------|------------------|
| १ | २ | ३ | ४ |
| १ | मनोरंजनाचे कार्यक्रम परवाना देणे | -- | |

कलम ४ (१) (ब) (v) नमुना - ड

मनोरंजनाचे कार्यक्रम परवाना देणे
कामाशी संबंधित नियम/ अधिनियम

| अ.क्र. | सूचना पत्रकानुसार दिलेले विषय | नियमक क्रमांक व वर्ष | अभिप्राय असल्यास |
|--------|----------------------------------|----------------------|------------------|
| १ | २ | ३ | ४ |
| १ | मनोरंजनाचे कार्यक्रम परवाना देणे | -- | |

कलम ४ (१) (ब) (v) नमुना - इ

मनोरंजनाचे कार्यक्रम परवाना देणे
जिल्हाधिकारी कार्यालय जालना येथील गृह विभागातील कार्यालयामध्ये उपलब्ध दस्त ऐवजाची यादी

| अ.क्र. | दस्त ऐवजाचा प्रकार | विषय | संबंधित व्यक्ती /पदनाम | व्यक्तीचे ठिकाण/ उपरोक्त कार्यालयात उपलब्ध नसल्यास |
|--------|--------------------|----------------------------------|---|--|
| १. | २. | ३. | ४. | ५. |
| १. | अ | मनोरंजनाचे कार्यक्रम परवाना देणे | जिल्हादंडाधिकारी अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी | जिल्हाधिकारी कार्यालय जालना |

कलम ४ (१) (ब) (v) नमुना - अ

मनोरंजनाचे कार्यक्रम घेण्यासाठी तिकीट परवाना देणे
कामाशी संबंधित नियम/ अधिनियम

| अ.क्र. | सूचना पत्रकानुसार दिलेले विषय | नियमक क्रमांक व वर्ष | अभिप्राय असल्यास |
|--------|---|---|------------------|
| १ | २ | ३ | ४ |
| १ | मनोरंजनाचे कार्यक्रम घेण्यासाठी तिकीट परवाना देणे | मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३३ (१) पोटकलम तीन (ब) (एक) Under section १९० of the Rules for Licensing & Controlling places of Public Amusement (Other than Cinemas) & Performances for public Amusement including Melas & Tamashas १९६० | |

कलम ४ (१) (ब) (v) नमुना - ब

मनोरंजनाचे कार्यक्रम घेण्यासाठी तिकीट परवपाना देणे
कामाशी संबंधित नियम/ अधिनियम

| अ.क्र. | सूचना पत्रकानुसार दिलेले विषय | नियमक क्रमांक व वर्ष | अभिप्राय असल्यास |
|--------|---|----------------------|------------------|
| १ | २ | ३ | ४ |
| १ | मनोरंजनाचे कार्यक्रम घेण्यासाठी तिकीट परवाना देणे | Amendment Rules | |

कलम ४ (१) (ब) (v) नमुना - क

मनोरंजनाचे कार्यक्रम घेण्यासाठी तिकीट परवाना देणे
कामाशी संबंधित नियम/ अधिनियम

| अ.क्र. | सूचना पत्रकानुसार दिलेले विषय | नियमक क्रमांक व वर्ष | अभिप्राय असल्यास |
|--------|---|----------------------|------------------|
| १ | २ | ३ | ४ |
| १ | मनोरंजनाचे कार्यक्रम घेण्यासाठी तिकीट परवाना देणे | -- | |

कलम ४ (१) (ब) (v) नमुना - ड

मनोरंजनाचे कार्यक्रमघेण्यासाठी तिकीट परवाना देणे
कामाशी संबंधित नियम/ अधिनियम

| अ.क्र. | सूचना पत्रकानुसार दिलेले विषय | नियमक क्रमांक व वर्ष | अभिप्राय असल्यास |
|--------|---|----------------------|------------------|
| १ | २ | ३ | ४ |
| १ | मनोरंजनाचे कार्यक्रम घेण्यासाठी तिकीट परवाना देणे | -- | |

कलम ४ (१) (ब) (v) नमुना - इ

मनोरंजनाचे कार्यक्रम घेण्यासाठी तिकीट परवाना देणे
जिल्हाधिकारी कार्यालय जालना येथील गृह विभागीतील कार्यालयामध्ये उपलब्ध दस्त ऐवजाची यादी

| अ.क्र. | दस्त ऐवजाचा प्रकार | विषय | संबंधित व्यक्ती /पदनाम | व्यक्तीचे ठिकाण/ उपरोक्त कार्यालयात उपलब्ध नसल्यास |
|--------|--------------------|--|---|--|
| १. | २. | ३. | ४. | ५. |
| १. | अ | मनोरंजनाचे कार्यक्रमघेण्यासाठी तिकीट परवाना देणे | जिल्हादंडाधिकारी अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी | जिल्हाधिकारी कार्यालय जालना |

कलम ४ (१) (ब) (v) नमुना - अ

खाद्य (Eating) परवाना देणे
कामाशी संबंधित नियम/ अधिनियम

| अ.क्र. | सूचना पत्रकानुसार दिलेले विषय | नियमक क्रमांक व वर्ष | अभिप्राय असल्यास |
|--------|-------------------------------|---|------------------|
| १ | २ | ३ | ४ |
| १ | खाद्य (Eating) परवाना देणे | मुंबई पोलिस अधिनियम १९५१ चे कलम ३३(१) पोटकलम तीन (ब) (एक) Jalna District Eating house registration Rules | |

कलम ४ (१) (ब) (v) नमुना - ब

खाद्य (Eating) परवाना देणे
कामाशी संबंधित नियम/ अधिनियम

| अ.क्र. | सूचना पत्रकानुसार दिलेले विषय | नियमक क्रमांक व वर्ष | अभिप्राय असल्यास |
|--------|-------------------------------|----------------------|------------------|
| १ | २ | ३ | ४ |
| १ | खाद्य (Eating) परवाना देणे | Amendment Rules | |

कलम ४ (१) (ब) (v) नमुना - क

खाद्य (Eating) परवाना देणे
कामाशी संबंधित नियम/ अधिनियम

| अ.क्र. | सूचना पत्रकानुसार दिलेले विषय | नियमक क्रमांक व वर्ष | अभिप्राय असल्यास |
|--------|-------------------------------|----------------------|------------------|
| १ | २ | ३ | ४ |
| १ | खाद्य (Eating) परवाना देणे | -- | |

कलम ४ (१) (ब) (v) नमुना - ड

खाद्य (Eating) परवाना देणे
कामाशी संबंधित नियम/ अधिनियम

| अ.क्र. | सूचना पत्रकानुसार दिलेले विषय | नियमक क्रमांक व वर्ष | अभिप्राय असल्यास |
|--------|-------------------------------|----------------------|------------------|
| १ | २ | ३ | ४ |
| १ | खाद्य (Eating) परवाना देणे | -- | |

कलम ४ (१) (ब) (v) नमुना - इ

खाद्य (Eating) परवाना देणे
जिल्हाधिकारी कार्यालय जालना येथील गृह विभागातील कार्यालयामध्ये उपलब्ध दस्त ऐवजाची यादी

| अ.क्र. | दस्त ऐवजाचा प्रकार | विषय | संबंधित व्यक्ती /पदनाम | व्यक्तीचे ठिकाण/ उपरोक्त कार्यालयात उपलब्ध नसल्यास |
|--------|--------------------|------------------------------|---|--|
| १. | २. | ३. | ४. | ५. |
| १. | अ | खाद्य (Eating) परवाना देणे | जिल्हादंडाधिकारी अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी | जिल्हाधिकारी कार्यालय जालना |

कलम ४ (१) (ब) (v) नमुना - अ

लॉज (Lodging) परवाना देणे
कामाशी संबंधित नियम/ अधिनियम

| अ.क्र. | सूचना पत्रकानुसार दिलेले विषय | नियमक क्रमांक व वर्ष | अभिप्राय असल्यास |
|--------|-------------------------------|--|------------------|
| १ | २ | ३ | ४ |
| १ | लॉज (Lodging) परवाना देणे | मुंबई पोलिस अधिनियम १९५१ चे कलम ३३(१) पोटकलम तीन (ब) (एक) Rules for keeping places of publice Entertainment for Jalna district | |

कलम ४ (१) (ब) (v) नमुना - ब

लॉज (Lodging) परवाना देणे
कामाशी संबंधित नियम/ अधिनियम

| अ.क्र. | सूचना पत्रकानुसार दिलेले विषय | नियमक क्रमांक व वर्ष | अभिप्राय असल्यास |
|--------|-------------------------------|----------------------|------------------|
| १ | २ | ३ | ४ |
| १ | लॉज (Lodging) परवाना देणे | Amendment Rules | |

कलम ४ (१) (ब) (v) नमुना - क

लॉज (Lodging) परवाना देणे
कामाशी संबंधित नियम/ अधिनियम

| अ.क्र. | सूचना पत्रकानुसार दिलेले विषय | नियमक क्रमांक व वर्ष | अभिप्राय असल्यास |
|--------|-------------------------------|----------------------|------------------|
| १ | २ | ३ | ४ |
| १ | लॉज (Lodging) परवाना देणे | -- | |

कलम ४ (१) (ब) (v) नमुना - ड

लॉज (Lodging) परवाना देणे
कामाशी संबंधित नियम/ अधिनियम

| अ.क्र. | सूचना पत्रकानुसार दिलेले विषय | नियमक क्रमांक व वर्ष | अभिप्राय असल्यास |
|--------|-------------------------------|----------------------|------------------|
| १ | २ | ३ | ४ |
| १ | लॉज (Lodging) परवाना देणे | -- | |

कलम ४ (१) (ब) (v) नमुना - इ

लॉज (Lodging) परवाना देणे
जिल्हाधिकारी कार्यालय जालना येथील गृह विभागातील कार्यालयामध्ये उपलब्ध दस्त ऐवजाची यादी

| अ.क्र. | दस्त ऐवजाचा प्रकार | विषय | संबंधित व्यक्ती /पदनाम | व्यक्तीचे ठिकाण/ उपरोक्त कार्यालयात उपलब्ध नसल्यास |
|--------|--------------------|-----------------------------|---|--|
| १. | २. | ३. | ४. | ५. |
| १. | अ | लॉज (Lodging) परवाना देणे | जिल्हादंडाधिकारी अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी | जिल्हाधिकारी कार्यालय जालना |

कलम ४ (१) (ब) (v) नमुना - अ

विशेष कार्यकारी अधिकारी यांची नेमणूक करणे
कामाशी संबंधित नियम/ अधिनियम

| अ.क्र. | सूचना पत्रकानुसार दिलेले विषय | नियमक क्रमांक व वर्ष | अभिप्राय असल्यास |
|--------|---|---|------------------|
| १ | २ | ३ | ४ |
| १ | विशेष कार्यकारी अधिकारी यांची नेमणूक करणे | फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम २१ | |

कलम ४ (१) (ब) (v) नमुना - ब

विशेष कार्यकारी अधिकारी यांची नेमणूक करणे
कामाशी संबंधित नियम/ अधिनियम

| अ.क्र. | सूचना पत्रकानुसार दिलेले विषय | नियमक क्रमांक व वर्ष | अभिप्राय असल्यास |
|--------|---|--|------------------|
| १ | २ | ३ | ४ |
| १ | विशेष कार्यकारी अधिकारी यांची नेमणूक करणे | १. शासन सामान्य प्रशासन विभाग निर्णय क्र.विकाअ १७९९/प्र.क्र. २७१/९९ ०५ दिनांक ३०.११.९९ २. शासन सामान्य प्रशासन विभाग निर्णय क्र विकाअ १७०४/१०९२/प्र.क्र.१८५/२००४-२००५ दिनांक २.४.२००५ | |

कलम ४ (१) (ब) (v) नमुना - क

विशेष कार्यकारी अधिकारी यांची नेमणूक करणे
कामाशी संबंधित नियम/ अधिनियम

| अ.क्र. | सूचना पत्रकानुसार दिलेले विषय | नियमक क्रमांक व वर्ष | अभिप्राय असल्यास |
|--------|---|----------------------|------------------|
| १ | २ | ३ | ४ |
| १ | विशेष कार्यकारी अधिकारी यांची नेमणूक करणे | -- | |

कलम ४ (१) (ब) (v) नमुना - ड

विशेष कार्यकारी अधिकारी यांची नेमणूक करणे
कामाशी संबंधित नियम/ अधिनियम

| अ.क्र. | सूचना पत्रकानुसार दिलेले विषय | नियमक क्रमांक व वर्ष | अभिप्राय असल्यास |
|--------|---|----------------------|------------------|
| १ | २ | ३ | ४ |
| १ | विशेष कार्यकारी अधिकारी यांची नेमणूक करणे | -- | |

कलम ४ (१) (ब) (v) नमुना - इ

विशेष कार्यकारी अधिकारी यांची नेमणूक करणे
जिल्हाधिकारी कार्यालय जालना येथील गृह विभागातील कार्यालयामध्ये उपलब्ध दस्त ऐवजाची यादी

| अ.क्र. | दस्त ऐवजाचा प्रकार | विषय | संबंधित व्यक्ती /पदनाम | व्यक्तीचे ठिकाण/ उपरोक्त कार्यालयात उपलब्ध नसल्यास |
|--------|--------------------|---|---|--|
| १. | २. | ३. | ४. | ५. |
| १. | अ | विशेष कार्यकारी अधिकारी यांची नेमणूक करणे | जिल्हादंडाधिकारी अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी | जिल्हाधिकारी कार्यालय जालना |

कलम ४ (१) (ब) (v) नमुना - अ

स्फोटक (तात्पुरता फटाके विक्री) परवाना देणे
कामाशी संबंधित नियम/ अधिनियम

| अ.क्र. | सूचना पत्रकानुसार दिलेले विषय | नियमक क्रमांक व वर्ष | अभिप्राय असल्यास |
|--------|--|--|------------------|
| १ | २ | ३ | ४ |
| १ | स्फोटक (तात्पुरता फटाके विक्री) परवाना देणे | भारतीय स्फोटक कायदा १८८४ स्फोटक कायदा नियम १९८३ चे कलम १५५ | |

कलम ४ (१) (ब) (v) नमुना - ब

स्फोटक (तात्पुरता फटाके विक्री) परवाना देणे
कामाशी संबंधित नियम/ अधिनियम

| अ.क्र. | सूचना पत्रकानुसार दिलेले विषय | नियमक क्रमांक व वर्ष | अभिप्राय असल्यास |
|--------|--|--|------------------|
| १ | २ | ३ | ४ |
| १ | स्फोटक (तात्पुरता फटाके विक्री) परवाना देणे | अधिसूचना क्रमांक एसआर ६८७ (इ) दिनांक २७.९.८४ | |

कलम ४ (१) (ब) (v) नमुना - क

स्फोटक (तात्पुरता फटाके विक्री) परवाना देणे
कामाशी संबंधित नियम/ अधिनियम

| अ.क्र. | सूचना पत्रकानुसार दिलेले विषय | नियमक क्रमांक व वर्ष | अभिप्राय असल्यास |
|--------|--|--|------------------|
| १ | २ | ३ | ४ |
| १ | स्फोटक (तात्पुरता फटाके विक्री) परवाना देणे | विस्फोट नियंत्रण कार्यालय नागपूर परिपत्रक क्र. एमआरडब्ल्यू एफडब्ल्यू एस दिनांक १४.९.२००५ | |

कलम ४ (१) (ब) (v) नमुना - ड

स्फोटक (तात्पुरता फटाके विक्री) परवाना देणे
कामाशी संबंधित नियम/ अधिनियम

| अ.क्र. | सूचना पत्रकानुसार दिलेले विषय | नियमक क्रमांक व वर्ष | अभिप्राय असल्यास |
|--------|--|----------------------|------------------|
| १ | २ | ३ | ४ |
| १ | स्फोटक (तात्पुरता फटाके विक्री) परवाना देणे | -- | |

कलम ४ (१) (ब) (v) नमुना - इ

स्फोटक (तात्पुरता फटाके विक्री) परवाना देणे
जिल्हाधिकारी कार्यालय जालना येथील गृह विभागातील कार्यालयामध्ये उपलब्ध दस्त ऐवजाची यादी

| अ.क्र. | दस्त ऐवजाचा प्रकार | विषय | संबंधित व्यक्ती /पदनाम | व्यक्तीचे ठिकाण/ उपरोक्त कार्यालयात उपलब्ध नसल्यास |
|--------|--------------------|--|---|--|
| १. | २. | ३. | ४. | ५. |
| १. | अ | स्फोटक (तात्पुरता फटाके विक्री) परवाना देणे | जिल्हादंडाधिकारी अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी | जिल्हाधिकारी कार्यालय जालना |

कलम ४ (१) (ब) (v) नमुना - अ

शस्त्र परवाना देणे
कामाशी संबंधित नियम/ अधिनियम

| अ.क्र. | सूचना पत्रकानुसार दिलेले विषय | नियमक क्रमांक व वर्ष | अभिप्राय असल्यास |
|--------|-------------------------------|--|------------------|
| १ | २ | ३ | ४ |
| १ | शस्त्र परवाना देणे | शस्त्र कायदा १९५९ चे कलम ४ ऑर्म्स रुल्स १९६२ | |

कलम ४ (१) (ब) (v) नमुना - ब

शस्त्र परवाना देणे
कामाशी संबंधित नियम/ अधिनियम

| अ.क्र. | सूचना पत्रकानुसार दिलेले विषय | नियमक क्रमांक व वर्ष | अभिप्राय असल्यास |
|--------|-------------------------------|--|------------------|
| १ | २ | ३ | ४ |
| १ | शस्त्र परवाना देणे | Govt of India Ministry of Home Affairs No ११०१६/ १/२००४ Arms/१ Dt २४.१.२००५ | |

कलम ४ (१) (ब) (v) नमुना - क

शस्त्र परवाना देणे
कामाशी संबंधित नियम/ अधिनियम

| अ.क्र. | सूचना पत्रकानुसार दिलेले विषय | नियमक क्रमांक व वर्ष | अभिप्राय असल्यास |
|--------|-------------------------------|--|------------------|
| १ | २ | ३ | ४ |
| १ | शस्त्र परवाना देणे | Govt of India Ministry of Home Affairs No ११०१६/ १/२००४ Arms/१ Dt २४.१.२००५ | |

कलम ४ (१) (ब) (v) नमुना - ड

शस्त्र परवाना देणे
कामाशी संबंधित नियम/ अधिनियम

| अ.क्र. | सूचना पत्रकानुसार दिलेले विषय | नियमक क्रमांक व वर्ष | अभिप्राय असल्यास |
|--------|-------------------------------|----------------------|------------------|
| १ | २ | ३ | ४ |
| १ | शस्त्र परवाना देणे | -- | |

कलम ४ (१) (ब) (v) नमुना - इ

शस्त्र परवाना देणे
जिल्हाधिकारी कार्यालय जालना येथील गृह विभागातील कार्यालयामध्ये उपलब्ध दस्त ऐवजाची यादी

| अ.क्र. | दस्त ऐवजाचा प्रकार | विषय | संबंधित व्यक्ती /पदनाम | व्यक्तीचे ठिकाण/ उपरोक्त कार्यालयात उपलब्ध नसल्यास |
|--------|--------------------|--------------------|---|--|
| १. | २. | ३. | ४. | ५. |
| १. | अ | शस्त्र परवाना देणे | जिल्हादंडाधिकारी अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी | जिल्हाधिकारी कार्यालय जालना |

कलम ४ (१) (ब) (v) नमुना - अ

जातीचे प्रमाणपत्र निर्गमित करण्यासाठी कामाचे वाटप करणे
कामाशी संबंधित नियम/ अधिनियम

| अ.क्र. | सूचना पत्रकानुसार दिलेले विषय | नियमक क्रमांक व वर्ष | अभिप्राय असल्यास |
|--------|--|---|------------------|
| १ | २ | ३ | ४ |
| १ | जातीचे प्रमाणपत्र निर्गमित करण्यासाठी कामाचे वाटप करणे | जातीचे प्रमाणपत्र देणे चे व त्याच्या परताळणीचे विनियमन अधिनियम २००० अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन नियम २००३ | |

कलम ४ (१) (ब) (v) नमुना - ब

जातीचे प्रमाणपत्र निर्गमित करण्यासाठी कामाचे वाटप करणे
कामाशी संबंधित नियम/ अधिनियम

| अ.क्र. | सूचना पत्रकानुसार दिलेले विषय | नियमक क्रमांक व वर्ष | अभिप्राय असल्यास |
|--------|--|--|------------------|
| १ | २ | ३ | ४ |
| १ | जातीचे प्रमाणपत्र निर्गमित करण्यासाठी कामाचे वाटप करणे | शासन अदिवासी विकास विभाग निर्णय क्रमांक एसटीसी १६९६ प्रक्र ५४/का १० दिनांक ७.३.१९९६ शासन समाज कल्याण सांस्कृतिक कार्य व क्रिडा विभाग निर्णय क्र सीबीसी /१०९६/ प्र.क्र.४८ /मावक ५दिनांक ३.६.९६ | |

कलम ४ (१) (ब) (v) नमुना - क

जातीचे प्रमाणपत्र निर्गमित करण्यासाठी कामाचे वाटप करणे
कामाशी संबंधित नियम/ अधिनियम

| अ.क्र. | सूचना पत्रकानुसार दिलेले विषय | नियमक क्रमांक व वर्ष | अभिप्राय असल्यास |
|--------|--|----------------------|------------------|
| १ | २ | ३ | ४ |
| १ | जातीचे प्रमाणपत्र निर्गमित करण्यासाठी कामाचे वाटप करणे | -- | |

कलम ४ (१) (ब) (v) नमुना - ड

जातीचे प्रमाणपत्र निर्गमित करण्यासाठी कामाचे वाटप करणे
कामाशी संबंधित नियम/ अधिनियम

| अ.क्र. | सूचना पत्रकानुसार दिलेले विषय | नियमक क्रमांक व वर्ष | अभिप्राय असल्यास |
|--------|--|----------------------|------------------|
| १ | २ | ३ | ४ |
| १ | जातीचे प्रमाणपत्र निर्गमित करण्यासाठी कामाचे वाटप करणे | -- | |

कलम ४ (१) (ब) (v) नमुना - इ

जातीचे प्रमाणपत्र निर्गमित करण्यासाठी कामाचे वाटप करणे
जिल्हाधिकारी कार्यालय जालना येथील गृह विभागातील कार्यालयामध्ये उपलब्ध दस्त ऐवजाची यादी

| अ.क्र. | दस्त ऐवजाचा प्रकार | विषय | संबंधित व्यक्ती /पदनाम | व्यक्तीचे ठिकाण/ उपरोक्त कार्यालयात उपलब्ध नसल्यास |
|--------|--------------------|--|---|--|
| १. | २. | ३. | ४. | ५. |
| १. | अ | जातीचे प्रमाणपत्र निर्गमित करण्यासाठी कामाचे वाटप करणे | जिल्हादंडाधिकारी अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी | जिल्हाधिकारी कार्यालय जालना |

कलम ४ (१) (ब) (v) नमुना - अ

वर्तणूक व पुर्व चारिज अहवाल पाठविणे
कामाशी संबंधित नियम/ अधिनियम

| अ.क्र. | सूचना पत्रकानुसार दिलेले विषय | नियमक क्रमांक व वर्ष | अभिप्राय असल्यास |
|--------|-------------------------------------|----------------------|------------------|
| १ | २ | ३ | ४ |
| १ | वर्तणूक व पुर्व चारिज अहवाल पाठविणे | -- | |

कलम ४ (१) (ब) (v) नमुना - ब

वर्तणूक व पुर्व चारिज अहवाल पाठविणे
कामाशी संबंधित नियम/ अधिनियम

| अ.क्र. | सूचना पत्रकानुसार दिलेले विषय | नियमक क्रमांक व वर्ष | अभिप्राय असल्यास |
|--------|-------------------------------------|--|------------------|
| १ | २ | ३ | ४ |
| १ | वर्तणूक व पुर्व चारिज अहवाल पाठविणे | शासन गृह विभाग परिपत्रक क्रएसबीएमएमएम १२७०/३/६२३ दिनांक २७ जून १९७० | |

कलम ४ (१) (ब) (v) नमुना - क

वर्तणूक व पुर्व चारिज अहवाल पाठविणे
कामाशी संबंधित नियम/ अधिनियम

| अ.क्र. | सूचना पत्रकानुसार दिलेले विषय | नियमक क्रमांक व वर्ष | अभिप्राय असल्यास |
|--------|-------------------------------------|----------------------|------------------|
| १ | २ | ३ | ४ |
| १ | वर्तणूक व पुर्व चारिज अहवाल पाठविणे | -- | |

कलम ४ (१) (ब) (v) नमुना - ड

वर्तणूक व पुर्व चारिज अहवाल पाठविणे
कामाशी संबंधित नियम/ अधिनियम

| अ.क्र. | सूचना पत्रकानुसार दिलेले विषय | नियमक क्रमांक व वर्ष | अभिप्राय असल्यास |
|--------|-------------------------------------|----------------------|------------------|
| १ | २ | ३ | ४ |
| १ | वर्तणूक व पुर्व चारिज अहवाल पाठविणे | -- | |

कलम ४ (१) (ब) (v) नमुना - इ

वर्तणूक व पुर्व चारिज अहवाल पाठविणे
जिल्हाधिकारी कार्यालय जालना येथील गृह विभागातील कार्यालयामध्ये उपलब्ध दस्त ऐवजाची यादी

| अ.क्र. | दस्त ऐवजाचा प्रकार | विषय | संबंधित व्यक्ती /पदनाम | व्यक्तीचे ठिकाण/ उपरोक्त कार्यालयात उपलब्ध नसल्यास |
|--------|--------------------|-------------------------------------|---|--|
| १. | २. | ३. | ४. | ५. |
| १. | अ | वर्तणूक व पुर्व चारिज अहवाल पाठविणे | जिल्हादंडाधिकारी अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी | जिल्हाधिकारी कार्यालय जालना |

कलम ४ (१) (ब) (v) नमुना - अ

प्रेस चालविण्याचे घोषणापत्र सांक्षांकीत करणे
कामाशी संबंधित नियम/ अधिनियम

| अ.क्र. | सूचना पत्रकानुसार दिलेले विषय | नियमक क्रमांक व वर्ष | अभिप्राय असल्यास |
|--------|--|--|------------------|
| १ | २ | ३ | ४ |
| १ | प्रेस चालविण्याचे घोषणापत्र सांक्षांकीत करणे | प्रेस & रजिस्ट्रेशन ॲक्ट १८६७ चे कलम ४ (१) | |

कलम ४ (१) (ब) (v) नमुना - ब

प्रेस चालविण्याचे घोषणापत्र सांक्षांकीत करणे
कामाशी संबंधित नियम/ अधिनियम

| अ.क्र. | सूचना पत्रकानुसार दिलेले विषय | नियमक क्रमांक व वर्ष | अभिप्राय असल्यास |
|--------|--|----------------------|------------------|
| १ | २ | ३ | ४ |
| १ | प्रेस चालविण्याचे घोषणापत्र सांक्षांकीत करणे | -- | |

कलम ४ (१) (ब) (v) नमुना - क

प्रेस चालविण्याचे घोषणापत्र सांक्षांकीत करणे
कामाशी संबंधित नियम/ अधिनियम

| अ.क्र. | सूचना पत्रकानुसार दिलेले विषय | नियमक क्रमांक व वर्ष | अभिप्राय असल्यास |
|--------|--|----------------------|------------------|
| १ | २ | ३ | ४ |
| १ | प्रेस चालविण्याचे घोषणापत्र सांक्षांकीत करणे | -- | |

कलम ४ (१) (ब) (v) नमुना - ड

प्रेस चालविण्याचे घोषणापत्र सांक्षांकीत करणे
कामाशी संबंधित नियम/ अधिनियम

| अ.क्र. | सूचना पत्रकानुसार दिलेले विषय | नियमक क्रमांक व वर्ष | अभिप्राय असल्यास |
|--------|--|----------------------|------------------|
| १ | २ | ३ | ४ |
| १ | प्रेस चालविण्याचे घोषणापत्र सांक्षांकीत करणे | -- | |

कलम ४ (१) (ब) (v) नमुना - इ

प्रेस चालविण्याचे घोषणापत्र सांक्षांकीत करणे

जिल्हाधिकारी कार्यालय जालना येथील गृह विभागीतील कार्यालयामध्ये उपलब्ध दस्त ऐवजाची यादी

| अ.क्र. | दस्त ऐवजाचा प्रकार | विषय | संबंधित व्यक्ती /पदनाम | व्यक्तीचे ठिकाण/ उपरोक्त कार्यालयात उपलब्ध नसल्यास |
|--------|--------------------|--|---|--|
| १. | २. | ३. | ४. | ५. |
| १. | अ | प्रेस चालविण्याचे घोषणापत्र सांक्षांकीत करणे | जिल्हादंडाधिकारी अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी | जिल्हाधिकारी कार्यालय जालना |

कलम ४ (१) (ब) (v) नमुना - अ

वृत्तपत्र प्रकाशनाकरीता घोषणापत्र सांक्षांकीत करणे
कामाशी संबंधित नियम/ अधिनियम

| अ.क्र. | सूचना पत्रकानुसार दिलेले विषय | नियमक क्रमांक व वर्ष | अभिप्राय असल्यास |
|--------|--|---|------------------|
| १ | २ | ३ | ४ |
| १ | वृत्तपत्र प्रकाशनाकरीता घोषणापत्र सांक्षांकीत करणे | प्रेस & रजिस्ट्रेशन ॲक्ट १८६७ चे कलम ५ नियम ३ | |

कलम ४ (१) (ब) (v) नमुना - ब

वृत्तपत्र प्रकाशनाकरीता घोषणापत्र सांक्षांकीत करणे
कामाशी संबंधित नियम/ अधिनियम

| अ.क्र. | सूचना पत्रकानुसार दिलेले विषय | नियमक क्रमांक व वर्ष | अभिप्राय असल्यास |
|--------|--|----------------------|------------------|
| १ | २ | ३ | ४ |
| १ | वृत्तपत्र प्रकाशनाकरीता घोषणापत्र सांक्षांकीत करणे | -- | |

कलम ४ (१) (ब) (v) नमुना - क

वृत्तपत्र प्रकाशनाकरीता घोषणापत्र सांक्षांकीत करणे
कामाशी संबंधित नियम/ अधिनियम

| अ.क्र. | सूचना पत्रकानुसार दिलेले विषय | नियमक क्रमांक व वर्ष | अभिप्राय असल्यास |
|--------|--|----------------------|------------------|
| १ | २ | ३ | ४ |
| १ | वृत्तपत्र प्रकाशनाकरीता घोषणापत्र सांक्षांकीत करणे | -- | |

कलम ४ (१) (ब) (v) नमुना - ड

वृत्तपत्र प्रकाशनाकरीता घोषणापत्र सांक्षांकीत करणे
कामाशी संबंधित नियम/ अधिनियम

| अ.क्र. | सूचना पत्रकानुसार दिलेले विषय | नियमक क्रमांक व वर्ष | अभिप्राय असल्यास |
|--------|--|----------------------|------------------|
| १ | २ | ३ | ४ |
| १ | वृत्तपत्र प्रकाशनाकरीता घोषणापत्र सांक्षांकीत करणे | -- | |

कलम ४ (१) (ब) (v) नमुना - इ

वृत्तपत्र प्रकाशनाकरीता घोषणापत्र सांक्षांकीत करणे
जिल्हाधिकारी कार्यालय जालना येथील गृह विभागातील कार्यालयामध्ये उपलब्ध दस्त ऐवजाची यादी

| अ.क्र. | दस्त ऐवजाचा प्रकार | विषय | संबंधित व्यक्ती /पदनाम | व्यक्तीचे ठिकाण/ उपरोक्त कार्यालयात उपलब्ध नसल्यास |
|--------|--------------------|--|---|--|
| १. | २. | ३. | ४. | ५. |
| १. | अ | वृत्तपत्र प्रकाशनाकरीता घोषणापत्र सांक्षांकीत करणे | जिल्हादंडाधिकारी अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी | जिल्हाधिकारी कार्यालय जालना |

कलम ४ (१) (ब) (v) नमुना - अ

नवीन डिझेल/पेट्रोलपंप उभारण्यास ना-हरकत प्रमाणपत्र देणे
कामाशी संबंधित नियम/ अधिनियम

| अ.क्र. | सूचना पत्रकानुसार दिलेले विषय | नियमक क्रमांक व वर्ष | अभिप्राय असल्यास |
|--------|---|--|------------------|
| १ | २ | ३ | ४ |
| १ | नवीन डिझेल/पेट्रोलपंप उभारण्यास ना-हरकत प्रमाणपत्र देणे | पेट्रोलियम अॅक्ट १९३४ चे कलम १४४ नुसार | |

कलम ४ (१) (ब) (v) नमुना - ब

नवीन डिझेल/पेट्रोलपंप उभारण्यास ना-हरकत प्रमाणपत्र देणे
कामाशी संबंधित नियम/ अधिनियम

| अ.क्र. | सूचना पत्रकानुसार दिलेले विषय | शासन निर्णय क्रमांक व तारीख | अभिप्राय असल्यास |
|--------|---|-----------------------------|------------------|
| १ | २ | ३ | ४ |
| १ | नवीन डिझेल/पेट्रोलपंप उभारण्यास ना-हरकत प्रमाणपत्र देणे | ----- | |

कलम ४ (१) (ब) (v) नमुना - क

नवीन डिझेल/पेट्रोलपंप उभारण्यास ना-हरकत प्रमाणपत्र देणे
कामाशी संबंधित नियम/ अधिनियम

| अ.क्र. | सूचना पत्रकानुसार दिलेले विषय | नियमक क्रमांक व वर्ष | अभिप्राय असल्यास |
|--------|---|----------------------|------------------|
| १ | २ | ३ | ४ |
| १ | नवीन डिझेल/पेट्रोलपंप उभारण्यास ना-हरकत प्रमाणपत्र देणे | ----- | |

कलम ४ (१) (ब) (v) नमुना - ड

नवीन डिझेल/पेट्रोलपंप उभारण्यास ना-हरकत प्रमाणपत्र देणे
कामाशी संबंधित नियम/ अधिनियम

| अ.क्र. | सूचना पत्रकानुसार दिलेले विषय | नियमक क्रमांक व वर्ष | अभिप्राय असल्यास |
|--------|---|----------------------|------------------|
| १ | २ | ३ | ४ |
| १ | नवीन डिझेल/पेट्रोलपंप उभारण्यास ना-हरकत प्रमाणपत्र देणे | -- | |

कलम ४ (१) (ब) (v) नमुना - इ

नवीन डिझेल/पेट्रोलपंप उभारण्यास ना-हरकत प्रमाणपत्र देणे
जिल्हाधिकारी कार्यालय जालना येथील गृह विभागातील कार्यालयामध्ये उपलब्ध दस्त ऐवजाची यादी

| अ.क्र. | दस्त ऐवजाचा प्रकार | विषय | संबंधित व्यक्ती /पदनाम | व्यक्तीचे ठिकाण/ उपरोक्त कार्यालयात उपलब्ध नसल्यास |
|--------|--------------------|---|---|--|
| १. | २. | ३. | ४. | ५. |
| १. | अ | नवीन डिझेल/पेट्रोलपंप उभारण्यास ना-हरकत प्रमाणपत्र देणे | जिल्हादंडाधिकारी अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी | जिल्हाधिकारी कार्यालय जालना |

कलम ४ (१) (ब) (v) नमुना - अ

केरोसीन स्टोरेज परवाना देणे
कामाशी संबंधित नियम/ अधिनियम

| अ.क्र. | सूचना पत्रकानुसार दिलेले विषय | नियमक क्रमांक व वर्ष | अभिप्राय असल्यास |
|--------|-------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| १ | २ | ३ | ४ |
| १ | केरोसीन स्टोरेज परवाना देणे | पेट्रोलियम अॅक्ट १९७६ चे कलम ४ नुसार | |

कलम ४ (१) (ब) (v) नमुना - ब

केरोसीन स्टोरेज परवाना देणे
कामाशी संबंधित नियम/ अधिनियम

| अ.क्र. | सूचना पत्रकानुसार दिलेले विषय | शासन निर्णय क्रमांक व तारीख | अभिप्राय असल्यास |
|--------|-------------------------------|-----------------------------|------------------|
| १ | २ | ३ | ४ |
| १ | केरोसीन स्टोरेज परवाना देणे | ----- | |

कलम ४ (१) (ब) (v) नमुना - क

केरोसीन स्टोरेज परवाना देणे
कामाशी संबंधित नियम/ अधिनियम

| अ.क्र. | सूचना पत्रकानुसार दिलेले विषय | नियमक क्रमांक व वर्ष | अभिप्राय असल्यास |
|--------|-------------------------------|----------------------|------------------|
| १ | २ | ३ | ४ |
| १ | केरोसीन स्टोरेज परवाना देणे | ----- | |

कलम ४ (१) (ब) (v) नमुना - ड

केरोसीन स्टोरेज परवाना देणे
कामाशी संबंधित नियम/ अधिनियम

| अ.क्र. | सूचना पत्रकानुसार दिलेले विषय | नियमक क्रमांक व वर्ष | अभिप्राय असल्यास |
|--------|-------------------------------|----------------------|------------------|
| १ | २ | ३ | ४ |
| १ | केरोसीन स्टोरेज परवाना देणे | -- | |

कलम ४ (१) (ब) (v) नमुना - इ

केरोसीन स्टोरेज परवाना देणे
जिल्हाधिकारी कार्यालय जालना येथील गृह विभागातील कार्यालयामध्ये उपलब्ध दस्त ऐवजाची यादी

| अ.क्र. | दस्त ऐवजाचा प्रकार | विषय | संबंधित व्यक्ती /पदनाम | व्यक्तीचे ठिकाण/ उपरोक्त कार्यालयात उपलब्ध नसल्यास |
|--------|--------------------|-----------------------------|---|--|
| १. | २. | ३. | ४. | ५. |
| १. | अ | केरोसीन स्टोरेज परवाना देणे | जिल्हादंडाधिकारी अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी | जिल्हाधिकारी कार्यालय जालना |

कलम ४ (१) (ब) (v) नमुना - अ

स्फोटक पदार्थ साठवणूक लायसन करीता ना-हरकत प्रमाणपत्र देणे
कामाशी संबंधित नियम/ अधिनियम

| अ.क्र. | सूचना पत्रकानुसार दिलेले विषय | नियमक क्रमांक व वर्ष | अभिप्राय असल्यास |
|--------|---|---|------------------|
| १ | २ | ३ | ४ |
| १ | स्फोटक पदार्थ साठवणूक लायसन करीता ना-हरकत प्रमाणपत्र देणे | स्फोटक कायदा १८८४ चे स्फोटक नियमांचे कलम (४), (५), (६), (७) | |

कलम ४ (१) (ब) (v) नमुना - ब

स्फोटक पदार्थ साठवणूक लायसन करीता ना-हरकत प्रमाणपत्र देणे
कामाशी संबंधित नियम/ अधिनियम

| अ.क्र. | सूचना पत्रकानुसार दिलेले विषय | शासन निर्णय क्रमांक व तारीख | अभिप्राय असल्यास |
|--------|---|--|------------------|
| १ | २ | ३ | ४ |
| १ | स्फोटक पदार्थ साठवणूक लायसन करीता ना-हरकत प्रमाणपत्र देणे | Home Dept.Circuler No.ESA/६९९/ CR-१७०/Pol-९ Dt.१४/०६/१९९९ | |

कलम ४ (१) (ब) (v) नमुना - क

स्फोटक पदार्थ साठवणूक लायसन करीता ना-हरकत प्रमाणपत्र देणे
कामाशी संबंधित नियम/ अधिनियम

| अ.क्र. | सूचना पत्रकानुसार दिलेले विषय | परिपत्रक क्रमांक व तारीख | अभिप्राय असल्यास |
|--------|---|---|------------------|
| १ | २ | ३ | ४ |
| १ | स्फोटक पदार्थ साठवणूक लायसन करीता ना-हरकत प्रमाणपत्र देणे | १. गृहविभाग परिपत्रक क्र.डीएसए/६९९/सी- १७७/पोल-९/दि.१९/७/१९९९ २. गृहविभाग परिपत्रक क्र.डीएसए/६९९/सी- १७७/पोल-९/दि.३/६/२००४ | |

कलम ४ (१) (ब) (v) नमुना - ड

स्फोटक पदार्थ साठवणूक लायसन करीता ना-हरकत प्रमाणपत्र देणे
कामाशी संबंधित नियम/ अधिनियम

| अ.क्र. | सूचना पत्रकानूसार दिलेले विषय | नियमक क्रमांक व वर्ष | अभिप्राय असल्यास |
|--------|---|----------------------|------------------|
| १ | २ | ३ | ४ |
| १ | स्फोटक पदार्थ साठवणूक लायसन करीता ना-हरकत प्रमाणपत्र देणे | -- | |

कलम ४ (१) (ब) (v) नमुना - इ

स्फोटक पदार्थ साठवणूक लायसन करीता ना-हरकत प्रमाणपत्र देणे
जिल्हाधिकारी कार्यालय जालना येथील गृह विभागीतील कार्यालयामध्ये उपलब्ध दस्त ऐवजाची यादी

| अ.क्र. | दस्त ऐवजाचा प्रकार | विषय | संबंधित व्यक्ती /पदनाम | व्यक्तीचे ठिकाण/ उपरोक्त कार्यालयात उपलब्ध नसल्यास |
|--------|--------------------|---|---|--|
| १. | २. | ३. | ४. | ५. |
| १. | अ | स्फोटक पदार्थ साठवणूक लायसन करीता ना-हरकत प्रमाणपत्र देणे | जिल्हादंडाधिकारी अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी | जिल्हाधिकारी कार्यालय जालना |

कलम ४ (१) (ब) (v) नमुना - अ

ब्लॉस्टिंग परवाना देणे
कामाशी संबंधित नियम/ अधिनियम

| अ.क्र. | सूचना पत्रकानुसार दिलेले विषय | नियमक क्रमांक व वर्ष | अभिप्राय असल्यास |
|--------|-------------------------------|--|------------------|
| १ | २ | ३ | ४ |
| १ | ब्लॉस्टिंग परवाना देणे | १. स्फोटक कायदा १८८४ चे कलम १५५ २. Explosive rules १९६४ | |

कलम ४ (१) (ब) (v) नमुना - ब

ब्लॉस्टिंग परवाना देणे
कामाशी संबंधित नियम/ अधिनियम

| अ.क्र. | सूचना पत्रकानुसार दिलेले विषय | शासन निर्णय क्रमांक व तारीख | अभिप्राय असल्यास |
|--------|-------------------------------|---|------------------|
| १ | २ | ३ | ४ |
| १ | ब्लॉस्टिंग परवाना देणे | Home Dept. Notification No. EAR/ १६६३/२१६३५-X, Dt. १५/९/१९६४ | |

कलम ४ (१) (ब) (v) नमुना - क

ब्लॉस्टिंग परवाना देणे
कामाशी संबंधित नियम/ अधिनियम

| अ.क्र. | सूचना पत्रकानुसार दिलेले विषय | परिपत्रक क्रमांक व तारीख | अभिप्राय असल्यास |
|--------|-------------------------------|---|------------------|
| १ | २ | ३ | ४ |
| १ | ब्लॉस्टिंग परवाना देणे | Home Dept. Circular No. EAR-१०६८/८०६७-X, Dt. ३०/९/१९६८ | |

कलम ४ (१) (ब) (v) नमुना - ड

ब्लॉस्टिंग परवाना देणे
कामाशी संबंधित नियम/ अधिनियम

| अ.क्र. | सूचना पत्रकानुसार दिलेले विषय | नियमक क्रमांक व वर्ष | अभिप्राय असल्यास |
|--------|-------------------------------|----------------------|------------------|
| १ | २ | ३ | ४ |
| १ | ब्लॉस्टिंग परवाना देणे | -- | |

कलम ४ (१) (ब) (v) नमुना - इ

ब्लॉस्टिंग परवाना देणे
जिल्हाधिकारी कार्यालय जालना येथील गृह विभागातील कार्यालयामध्ये उपलब्ध दस्त ऐवजाची यादी

| अ.क्र. | दस्त ऐवजाचा प्रकार | विषय | संबंधित व्यक्ती /पदनाम | व्यक्तीचे ठिकाण/ उपरोक्त कार्यालयात उपलब्ध नसल्यास |
|--------|--------------------|------------------------|---|--|
| १. | २. | ३. | ४. | ५. |
| १. | अ | ब्लॉस्टिंग परवाना देणे | जिल्हादंडाधिकारी अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी | जिल्हाधिकारी कार्यालय जालना |

कलम ४ (१) (ब) (v) नमुना - अ

पोलीस कोठडीत/रखवालीत मृत व्यक्तीचे दंडाधिकारीय चौकशी करणे
कामाशी संबंधित नियम/ अधिनियम

| अ.क्र. | सूचना पत्रकानुसार दिलेले विषय | नियमक क्रमांक व वर्ष | अभिप्राय असल्यास |
|--------|---|--|------------------|
| १ | २ | ३ | ४ |
| १ | पोलीस कोठडीत/रखवालीत मृत व्यक्तीचे दंडाधिकारीय चौकशी करणे | फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १७४ व १७६ | |

कलम ४ (१) (ब) (v) नमुना - ब

पोलीस कोठडीत/रखवालीत मृत व्यक्तीचे दंडाधिकारीय चौकशी करणे
कामाशी संबंधित नियम/ अधिनियम

| अ.क्र. | सूचना पत्रकानुसार दिलेले विषय | शासन निर्णय क्रमांक व तारीख | अभिप्राय असल्यास |
|--------|---|-----------------------------|------------------|
| १ | २ | ३ | ४ |
| १ | पोलीस कोठडीत/रखवालीत मृत व्यक्तीचे दंडाधिकारीय चौकशी करणे | -- | |

कलम ४ (१) (ब) (v) नमुना - क

पोलीस कोठडीत/रखवालीत मृत व्यक्तीचे दंडाधिकारीय चौकशी करणे
कामाशी संबंधित नियम/ अधिनियम

| अ.क्र. | सूचना पत्रकानुसार दिलेले विषय | परिपत्रक क्रमांक व तारीख | अभिप्राय असल्यास |
|--------|---|--------------------------|------------------|
| १ | २ | ३ | ४ |
| १ | पोलीस कोठडीत/रखवालीत मृत व्यक्तीचे दंडाधिकारीय चौकशी करणे | -- | |

कलम ४ (१) (ब) (v) नमुना - ड

पोलीस कोठडीत/रखवालीत मृत व्यक्तीचे दंडाधिकारीय चौकशी करणे
कामाशी संबंधित नियम/ अधिनियम

| अ.क्र. | सूचना पत्रकानुसार दिलेले विषय | नियमक क्रमांक व वर्ष | अभिप्राय असल्यास |
|--------|---|----------------------|------------------|
| १ | २ | ३ | ४ |
| १ | पोलीस कोठडीत/रखवालीत मृत व्यक्तीचे दंडाधिकारीय चौकशी करणे | -- | |

कलम ४ (१) (ब) (v) नमुना - इ

पोलीस कोठडीत/रखवालीत मृत व्यक्तीचे दंडाधिकारीय चौकशी करणे
जिल्हाधिकारी कार्यालय जालना येथील गृह विभागातील कार्यालयामध्ये उपलब्ध दस्त ऐवजाची यादी

| अ.क्र. | दस्त ऐवजाचा प्रकार | विषय | संबंधित व्यक्ती /पदनाम | व्यक्तीचे ठिकाण/ उपरोक्त कार्यालयात उपलब्ध नसल्यास |
|--------|--------------------|---|---|--|
| १. | २. | ३. | ४. | ५. |
| १. | अ | पोलीस कोठडीत/रखवालीत मृत व्यक्तीचे दंडाधिकारीय चौकशी करणे | जिल्हादंडाधिकारी अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी | जिल्हाधिकारी कार्यालय जालना |

कलम ४ (१) (ब) (v) नमुना - अ

पोलीसांनी केलेल्या गोळीबारांची दंडाधिकारीय चौकशी करणे
कामाशी संबंधित नियम/ अधिनियम

| अ.क्र. | सूचना पत्रकानुसार दिलेले विषय | नियमक क्रमांक व वर्ष | अभिप्राय असल्यास |
|--------|---|----------------------|------------------|
| १ | २ | ३ | ४ |
| १ | पोलीसांनी केलेल्या गोळीबारांची दंडाधिकारीय चौकशी करणे | -- | |

कलम ४ (१) (ब) (v) नमुना - ब

पोलीसांनी केलेल्या गोळीबारांची दंडाधिकारीय चौकशी करणे
कामाशी संबंधित नियम/ अधिनियम

| अ.क्र. | सूचना पत्रकानुसार दिलेले विषय | शासन निर्णय क्रमांक व तारीख | अभिप्राय असल्यास |
|--------|---|--|------------------|
| १ | २ | ३ | ४ |
| १ | पोलीसांनी केलेल्या गोळीबारांची दंडाधिकारीय चौकशी करणे | शासन गृहविभाग परिपत्रक क्रमांक एमआयएस/ ३१९९/सीआर-३६२/ विशेष-२, दि.१०/९/१९९९ | |

कलम ४ (१) (ब) (v) नमुना - क

पोलीसांनी केलेल्या गोळीबारांची दंडाधिकारीय चौकशी करणे
कामाशी संबंधित नियम/ अधिनियम

| अ.क्र. | सूचना पत्रकानुसार दिलेले विषय | परिपत्रक क्रमांक व तारीख | अभिप्राय असल्यास |
|--------|---|--------------------------|------------------|
| १ | २ | ३ | ४ |
| १ | पोलीसांनी केलेल्या गोळीबारांची दंडाधिकारीय चौकशी करणे | -- | |

कलम ४ (१) (ब) (v) नमुना - ड

पोलीसांनी केलेल्या गोळीबारांची दंडाधिकारीय चौकशी करणे
कामाशी संबंधित नियम/ अधिनियम

| अ.क्र. | सूचना पत्रकानुसार दिलेले विषय | नियमक क्रमांक व वर्ष | अभिप्राय असल्यास |
|--------|---|----------------------|------------------|
| १ | २ | ३ | ४ |
| १ | पोलीसांनी केलेल्या गोळीबारांची दंडाधिकारीय चौकशी करणे | -- | |

कलम ४ (१) (ब) (v) नमुना - इ

पोलीसांनी केलेल्या गोळीबारांची दंडाधिकारीय चौकशी करणे
जिल्हाधिकारी कार्यालय जालना येथील गृह विभागातील कार्यालयामध्ये उपलब्ध दस्त ऐवजाची यादी

| अ.क्र. | दस्त ऐवजाचा प्रकार | विषय | संबंधित व्यक्ती /पदनाम | व्यक्तीचे ठिकाण/ उपरोक्त कार्यालयात उपलब्ध नसल्यास |
|--------|--------------------|---|---|--|
| १. | २. | ३. | ४. | ५. |
| १. | अ | पोलीसांनी केलेल्या गोळीबारांची दंडाधिकारीय चौकशी करणे | जिल्हादंडाधिकारी अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी | जिल्हाधिकारी कार्यालय जालना |

करमणूक कर विभाग

कलम ४ (१) (अ) (vi)

जिल्हाधिकारी कार्यालय जालना येथील करमणूक कर विभागातील कार्यालयामध्ये दस्तावेजाची वर्गवारी

| अ.क्र. | विषय | दस्तावेजाचा प्रकार नस्ती/मस्टर/नोंदपुस्तक/ व्हाऊचर इत्यादी | प्रमुख बाबी तपशीलवार | सुरक्षित ठेव याचा कालावधी |
|--------|--|--|----------------------|---------------------------|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ |
| १ | शासन निर्णय, शासन परिपत्रके व सर्व स्थाई आदेश | स्थाई आदेश संचिका | -- | कायमस्वरूपी अ |
| २ | सिनेमा, व्हिडिओ, केबल, व्हिडिओ खेळ गृहे, डिटीएच, तिकीट दर बदलास व आसन संख्या बदलास मंजूरी देणे | नस्ती व नोंदवही | -- | कायमस्वरूपी अ |
| ३ | सेवा शुल्क तपासणी | नस्ती | -- | कायमस्वरूपी अ |
| ४ | अनाधिकृत करमणूक केंद्राविरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करणे | नस्ती | -- | १० वर्ष |

करमणूक कर विभाग

कलम ४ (१) (अ) (vi)

जिल्हाधिकारी कार्यालय, जालना येथील करमणूक कर विभाग कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी यांची नावे, पत्ते व त्यांचे मासिक वेतन करणे

| अ.क्र. | पदनाम | अधिकारी/कर्मचारी यांचे नाव | वर्ग | रूजू दिनांक | दुरध्वनी क्रमांक/ फॅक्स/ई-मेल | एकूण वेतन |
|--------|---------------------------------|----------------------------|------|-------------|-------------------------------|-----------|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ |
| १ | जिल्हादंडाधिकारी जालना | श्री.विलास ठाकूर | १ | | | |
| २ | अप्पर जिल्हादंडाधिकारी | श्री.अविनाश पाठक | १ | | ९४२२२४२३२३ | |
| ४ | नायब तहसिलदार | श्री.एस.एम.मगरे | २ | | ९४२२२२६५२० | |
| ३ | उपचिटणीस | श्री. आर.जी.कांबळे | ३ | १२/२००८ | ९४२३२७४६८१ | |
| ४ | करमणूक कर निरीक्षक | श्री.व्ही.डी.पाटोळे | ३ | ६/२००९ | | |
| ५ | करमणूक कर निरीक्षक | श्री.एम.बी.उन्हाळे | ३ | ७/२००९ | | |
| ६ | लिपीक पोल-२ | श्री.एस.पी.तांदळे | ३ | ४/२००६ | ९४२२२२६११२ | |
| ७ | लिपीक पोल-१ | श्री.ए.पी.पैठणकर | ३ | ७/२००६ | ९४०३०२३३३३ | |
| ८ | लिपीक (करमणूक कर) पोल ३ | रिक्त | ३ | | | |
| ९ | लिपीक (स्वातंत्र्य सैनिक) पोल ४ | श्री.आर.आर.हेलगट | ३ | ३/२००८ | ९४२२२२६४३४ | |
| १० | शिपाई | श्री.रामप्रसाद बोर्डे | ४ | १/२००७ | ९८६०३५१०२५ | |
| ११ | शिपाई | श्रीमती एम.व्ही.बर्गे | ४ | २/२००८ | ०२४८२-२२५१२१ | |